लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

5th S

LOK SABHA DEBATE

[सातवां सत्र
Seventh Session]

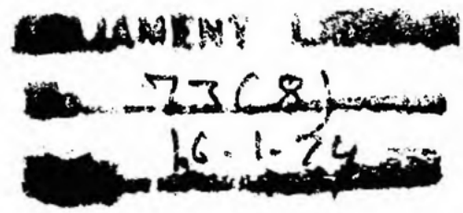

[खंड 28 में अंक 51 से 58 तक हैं
Vol. XXVIII contains Nos. 51 to 58]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price: Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 58, बुधवार, 16 मई, 1973/26 वैशाख, 1895 (शक)

No. 58, *Wednesday, May* 16,1973/*Vaisakha* 26, 1895 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 9	Short Notice Question No. 9	1–3
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
बिहार में जमींदारों और पुलिस द्वारा हरिजनों पर किये गये अत्याचार का समाचार—	Reported atrocities on Harijans by landlords and police in Bihar—	
श्री शंकर दयाल सिंह	Shri Shankar Dayal Singh	3–5
श्री राम निवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha	3–6
विशेषाधिकार के प्रश्न	Questions of Privilege	6–8 & 18–23
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	8–15
सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बधी समिति—	Committee on Absence of Members from the Sittings of the House—	
कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखा गया—	Minutes—*Laid on the Table*	16
उत्तर प्रदेश में विषाक्त भोजन से 6 व्यक्तियों की कथित मृत्यु के बारे में वक्तव्य—	Statement Re. Reported Death of Six Persons in U.P. due to Food Poisoning—	
श्री राम निवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha	16
सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण	Personal Explanation by Member	16–17
संविधान (32वां संशोधन) विधेयक—पुर:-स्थापित	Constitution (Thirty-second Amendment) Bill — *Introduced*	17–18
नियम 377 के अन्तर्गत मामले	Matters under Rule 377	23–25 & 25–28
मंत्री द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण	Personal Explanation by Minister	25
रेल अभिसमय समिति के बारे में संकल्प	Resolutions Re. Railway Convention Committee	28–29
चीनी जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य—	Statement Re. Report of Sugar Enquiry Committee—	
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed	29

1—15 LSS (ND)/73

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
मंत्रियों के कथित गुमराह करने वाले वक्तव्यों के बारे में प्रस्ताव—	Motion Re. Alleged Misleading Statements by Ministers—	
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	29–35, 36 59–60
श्री एन० के० पी० सालवे	Shri N. K. P. Salve	39–40
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	41–42
श्री विक्रम महाजन	Shri Vikram Mahajan	42–43
श्री अटल बिहारी बाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpaee	43–45
श्री सी० सुब्राह्मण्यम	Shri C. Subramaniam	45
श्री बी० पी० मौर्य	Shri B. P. Maurya	45–46
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	46–49
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale	49–50
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody	50
श्री वसन्त साठे	Shri Vasant Sathe	50
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	51–53
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	53–54
श्री मोहनराज कलिंगरायर	Shri Mohanraj Kalingarayar	54
श्री विद्या चरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	55–58

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 16 मई, 1973/26 वैशाख, 1895 (शक)
Wednesday, May 16, 1973/Vaisakha 26, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री द्वारा बाराचौका जल-निकास योजना का शिलान्यास
अ०सू०प्र० 9

1. श्री समर गुह : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने बाराचौका जल-निकास योजना का शिलान्यास किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को पूरा करने के लिये क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है तथा इसके पूरा हो जाने पर लोगों को इस से क्या लाभ पहुंचेंगे ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : (क) बाराचौका जल-निकास योजना के कार्य का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने 20 अप्रैल 1973 को किया था ।

(ख) यदि निकायों उपलब्ध हो जायें तो पश्चिम बंगाल सरकार ने किस कार्य को जुलाई 1975 तक पूरा कर लेने का कार्यक्रम बनाया है । इस पर संभावित अनुमानित 55 लाख रुपये की लागत में से वर्ष 1973-74 के लिये 35 लाख रुपये की राशि की आवश्यकता है । इस योजना के पूरा होने से मिदनापुर जिले के इस बाराचौका बेसिन में 1800 हैक्टेयर के क्षेत्र में जल निकास की बीहडता से राहत मिलेगी ।

श्री समर गुह : मैं जान सकता हूं कि क्या बाराचौका क्षेत्र में जो 1800 हेक्टयर हैं प्रति वर्ष पानी जमा हो जाता है तथा प्रतिवर्ष फसल की भी हानि हो रही है ? मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि गत छः अथवा सात वर्षों के दौरान सरकार ने केवल अस्थायी राहत कार्य और बांध निर्माण कार्य के लिए 56 लाख रुपये व्यय किये हैं और यदि हां तो पश्चिम बंगाल सरकार को सरकार से यह कहने में क्या रुकावट है कि वह योजनाओं पर कार्य आरम्भ करे ताकि इनको तीन महीनों के अंदर पूरा कर दिया जाये जिससे वहां कृषि के लिए सधन योजना सफल हो सके विशेषकर इस तथ्य को देखते हुए कि विलम्ब के कारण योजना पर वर्तमान लागत

55 लाख रुपये आयेगी जो कि आरम्भ में केवल 32 लाख रुपये थी और बाद मे 35 लाख रुपये हो गई थी ? कार्य के उद्घाटन वाले दिन यह भी कहा गया था कि धनराशि उपलब्ध होने पर कार्य आरम्भ किया जायेगा और फिर भी पहले दिन लगभग 2,000 श्रमिकों ने वहां काम किया था। इस स्तिति में ऐसा कैसे कहा जाता है कि कार्य धनराशि के उपलब्ध होने पर आरम्भ किया जायेगा ?

श्री बाल गोविद वर्मा : यह सच है कि यह क्षेत्र वर्षा के दिनों में निरंतर पानी में डूबा रहता है और इसके राहत कार्यों में धन व्यय किया जाता है। यह कोई बडी योजना नहीं है और राज्य सरकार बाढ़ राहत की धनराशि से इस कार्य को कर सकती है; हमने राज्य सरकार से कई बार अनुरोध किया है कि वह अपने बजट में से इस कार्य के लिए धन की व्यवस्था करे। राज्य सरकार का कहना है कि उनके पास कोई धन नहीं है। हमने उन्हें फिर से लिखा है और मेरे विचार में वे इसे कर सकते हैं।

श्री समर गुह : वे कृपया इस परस्पर विरोधी बात को समझायें मुख्य मंत्री ने एक औपचारिक समारोह में परियोजना का उद्घाटन किया है लगभग 2,000 श्रमिक इस कार्य में लगाये गये; अब जब इस कार्य को एक बार आरम्भ किया गया है तो ऐसा कैसे कहा जा रहा है कि यह कार्य धन के उपलब्ध होने पर ही आरम्भ होगा ?

श्री बाल गोविन्द वर्मा : मैंने धन के उपलब्ध होने पर कार्य आरम्भ होने की बात इसलिए कही है कि राज्य सरकार का कहना है कि उनके पास धन नहीं है। यदि उन्हें अपने बजट से धन मिलता है तो इस कार्य को आसानी से कर सकते हैं हमारे विचार में वे धन की व्यवस्था कर सकते हैं।

श्री समर गुह : क्या इस बाराचौका जल निकास योजना के कार्य के लिए जिसका मुख्य मंत्री महोदय ने शिलान्यास किया था कोई टेंडर मांगे गए थे ? क्या इस योजना के लिए अपेक्षित भूमि प्राप्त कर ली गई थी ? क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने 25 नवम्बर 1972 को एक पत्र डा० के० एल० राव को लिखा था जिसमें इस योजना को तेजी से पूरा करने लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में धन की व्यवस्था करने को कहा गया था ? यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और डा० राव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री को क्या उत्तर भेजा था ?

सिचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : यह सच है कि श्री समर गुह कई वर्षों से इस योजना के लिए जोर देते आ रहे हैं। सरकार का यह विचार है कि यह कार्य अवश्य किया जाना चाहिए ताकि बाराचौका क्षेत्र मे जो कि लगभग 1800 हेक्टयर है रहने वाले लोगों को राहत मिल सके। जब मुख्य मंत्री ने इसका उद्घाटन किया है तो इसका तात्पर्य यह है कि उन्हें इस कार्य को पूरा करने के लिए धन मिलेगा।

मेर पास इस बारे में सूचना नहीं है कि क्या इस कार्य के लिए भूमि अर्जित की गई है या नहीं। इस योजना के अर्न्तगत बांध का निर्माण जल कपात का निर्माण और बगाई नदी से मिट्टी निकालने ने का कार्य किया जायेगा।

यह सच है कि मुख्य मंत्री ने इस कार्य के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है। मैंने यह उत्तर दिया कि इसमे कम धन लगेगा इसलिए राज्य सरकार को एकत्र धन की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर भी मैंने उन्हें कार्य आरम्भ करने को कहा है और यदि उन्हें कोई कठिनाई होती है तो वे योजना आयोग को लिख सकते हैं तथा उसकी एक प्रतिलिपि हमें भेज सकते हैं ताकि हम उस मामले को यहां आगे बढ़ाये।

श्री बी० के० दास चौधरी : मंत्री महोदय के उत्तर से यह स्पष्ट है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री को योजना सम्बन्धी कार्य करने को कहा है क्या यह सच है कि मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि वह धन की व्यवस्था करेंगे ताकि पश्चिम बंगाल की सरकार इस योजना पर कार्य आरम्भ कर सके जिस से न केवल 1800 हेक्टयर भूमि की रक्षा हो सके जहां प्रतिवर्ष फसल नष्ट होती है अपितु इस योजना के कारण उस भूमि को 10 से 15 गुनो से अधिक लाभ पहुंचे इस स्थिति के समाधान के लिए मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस समय भारत सरकार बारीचौका तटबंध योजना अथवा जलनिकास योजना प्राथमिकता के आधार पर लेने के लिए धन का विशेष आबंटन करेगी ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : यह कहना सही नहीं है कि सरकार ने इस परियोजना को पूरा करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को कोई आश्वासन दिया है। उन्होंने निश्चय ही हमें वित्तीय सहायता के लिए लिखा था। हमने उन्हें उत्तर दिया कि यदि वे ऐसा चाहते हैं—क्योंकि यह एक छोटी योजना है—वे योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय को आवेदन पत्र दे सकते हैं तथा उसकी एक प्रति हमें भेज सकते हैं ताकि हम मंत्रालयों के साथ इस मामले को उठा सके। हमने इतना ही किया है मैं समझता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार इस कार्य को करने में समर्थ है क्योंकि बहुत कम धन राशि आवश्यक है।

श्री ए० के० एम० इसहाक : कुछ समय से सरकार ने यह सुविधाजनक उत्तर देना आरम्भ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल सरकार को योजनाओं की क्रियान्विति के लिए स्वयं अपने साधनों से धन की व्यवस्था करनी चाहिए। अब यदि कोई भी योजना सरकार को सौंपी जाती है तो इसी तरह का उत्तर दिया जाता है मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार का कार्य राज्य सरकारों को यही परामर्श देना रह गया है कि वे स्वयं अपने संसाधन की खोज करें और मैं जान सकता हूं कि इस प्रकार के उत्तर देना कब बंद होगा और केन्द्रीय सरकार इन योजनाओं की क्रियान्विति के लिए वास्तविक सहायता कब से देना आरम्भ करेगी ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : बाढ़ राहत कार्य राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। योजना में धन की व्यवस्था की जाती है। हम उन्हें एक मुश्त अनुदान तथा ऋण देते हैं जो किसी विशेष योजना के लिए नहीं होती है। पश्चिम बंगाल सरकार तथा किसी माननीय सदस्य का इस प्रकार हम पर दोषारोपण करना ठीक नहीं है वे इस कार्य के लिए आबंटित धन में से ऐसा कर सकते हैं।

अविलम्बनीय लोक-महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

बिहार में जमींदारों और पुलिस द्वारा हरिजनों पर किये गये अत्याचार के समाचार

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : Sir, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the reported killing of four Harijans and landless labourers by landlords and police in village Choura in District Bhojpur of Bihar raping of Harijan women, seriously injuring of almost all the villagers and taking in to custody the surviving alive male members there and request that he may make a statement thereon.

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha) : Sir, According to the information received from the State Government on 6th May, 1973, a police party which had reached village Choura, PS Sahar, district Bhojpur to arrest 14 persons wanted in connection with a case of dacoity under section 395 IPC was attacked by a mob, shouting Naxalite slogans and armed with deadly weapons. Several police personnel received injuries. In the course of the encounter, the police resorted to firing in which four

persons-Sarvashri Lal Mohar Dusadh, Ganeshi Dusadh, Baleshwar Dusadh and Dinanath Sao were killed and 21 others were injured. Some countrymade guns, live bombs, empty cartridges, two Naxalite red flags and huge quantities of lathis, garasas, spears, etc. were seized from different parts of the area. The police have registered a case and arrested 36 persons. Orders under section 144 Cr. P.C. have been promulgated and the situation is reported to be under control.

Government of Bihar have ordered the Commissioner, Patna Division to hold a detailed inquiry into the matter including the allegations regarding the circumstances leading to the incident and the justification for the use of force by the police. He has been, in particular, directed to inquire into the allegations that the incident was the outcome of an agrarian dispute relating to wages and that the police have wrongly described the incident as an encounter with Nexalites. The report of the Commissioner is awaited.

Shri Shankar Dayal Singh : Sir such sad, sorrowful and shameful incident have been taking place in the country frequently and these have been discussed in the house many a time. When the State Governments fail to tackle them, we ask the Central Government to provide protection to Harijans and landless people on whom atrocities are committed. On the 6th May last, in Bhojpur District, which was previously known as District Shahabad and which gave birth to many a revolutioneries which gave birth to Balu Kanwar Singh and our Defence Minister also belongs to that area, when such incidents took place there the Central Government should pay more attention towards this. More so, because this is such a District such a place whose land is very sacred and is known for giving a clarion call to the Nation and if such painful incidents take place on such land the Central Government should never keep quite.

Sir, I do not entirely disbelieve the statement made by the Government but I would like to know as to why the inquiry report about this sorrowful incident of 6th May has not so far been received ? It happended on 6th May and the Police Commissioner was asked to conduct an inquiry. Has the inquiry report been received or not if it has been received *what* are its contents.

I did not go to that village but I did pay a visit to that District. I came to know that Naxalites had no hand in this incident. When the police expresses, their helplessness or inaction when they fail to control the situation and when they are unable to check atrocities, they put forth a number of excuses. I would request you to find out as to how Naxalites are concerned with this ? I demand that if all these things are found to be incorrect, the Police officials concerned may be suspended. For, you cannot hold Naxalites responsible for all such acts and atrocities.

As per the report of the Government, four persons have been killed, whereas according to the newspaper report seven persons have been killed. I would like to know the correct figure. What relief has been provided by the Government to the families of those killed. I know that these families are very very poor. When they demand their rights, their wages and shelter, they have to face bullets. Their children were also beaten up. I would not like to narrate in this house the indecent treatment meted out to their women folk.

Sir, such incidents are taking place daily in different parts of Bihar, law and order is coming to an end completely. I want to draw your attention towards the incidents that took place at Hazaribagh some day ago, which was discussed in this house also. Hazaribagh remained under curfew for 10-15 days and police could not control the situation. At that time also, we had requested him to control the situation. This incident appears to be a small one but it may not be possible to remove the blot from the History for ages. Therefore, I would like to know two-three things from him.

Firstly, I would like to know as to what action has been taken by the Government against the police officials and other people who were involved in this ? Or is it not only poor people are being harassed and Government is unable to provide protection to them.

Secondly, I want to know whether the report from the Police Commissioner has been received or not about the incidents of 6th May ? If it has been received, what are its contents ?

Thirdly, have they provided any relief to the affected families or not ? If not what relief is proposed to be given to them ? With these words, I would submit that such incidents should not be taken as insignificant ones. They can assume dangerous proportions. They can create havoc in the Society. As a small spark can spread fire, similar such incidents can also have serious consequences. I would therefore, request the Central Government to depute a senior officer or a Minister to go there to meet the eye witnesses and the villagers, to hear their statements and to help solve their problems.

Shri Ram Niwas Mirdha : The Hon. Member has asked as to why the report of the Commissioner has not yet been received. Actually, the Commissioner has to verify all the facts. The Commissioner has also been asked to verify whether it is fact that a clash took place with Naxalites. He has also been asked to verify whether the clash related to landless persons or land reforms or did it relate to any atrocities. The Commissioner has been specifically asked to investigate as to which of the statements is correct. I hope the Commissioner's report would throw light on this. We will try to expedite the report so that full facts could be known. So far as the question of suspension of police officials or taking any other action against them is concerned, it can only be done if the report says that Police was responsible for some excesses. I therefore, submit that unless the report is received, it is not possible to say that police had committed atrocities.

So far as the question of providing relief to the families of those killed is concerned, we have asked the State Government to provide immediate relief.

Shri Shankar Dayal Singh : I had requested the Government to depute an officer from here to conduct an inquiry. Because, as I have already stated, high police official posted there would be able to save the policemen and they would say that policemen had not committed any atrocities. May I Know whether any senior central officer would be deputed to conduct an inquiry ?

Shri Ram Niwas Mirdha : Commissioners inquiry is going on. In addition, we will be deputing a senior officer to conduct inquiry and report to us.

Shri Sadhu Ram (Phillaur) : Sir, I have received a letter from Bihar with regard to this incident. Three M.L.A's of Bihar went there and conducted enquiries and they have forwarded their report to me. They have written that those killed had shut themselves up in their houses, but their doors were broken and they were dragged out and were shot dead. The names of these M.L.A's are Sarvashri Mahavir Paswan and Jagdev Ram and an other who had gone there the very next day and conducted enquiries. Police had arrested fourteen persons. They have said that this has happened due to the conspiracy of Shri K.P. Singh, D.S.P. On 26-4-73 a case was fabricated with ragard to the theft of rice. They went to that Mohalla along with big landlords for conducting investigations and started beating the people there without taking their statements. Their children and women were also beaten up badly. After that a man, whose mother had given a statement that 'My son, Dinanath, had hidden himself after bolting from inside', was dragged out and shot dead by the police along with the landlords after forcing open his door. Similarly, Lal Mahar Paswan was dragged out of his house and taken to the house of Ram Swarup Rai, who is a landloard and shot dead in the presence of many people. So, this incident of killing seven persons is quite shameful. A feeling has gained ground in the country that Harijans are being killed without any reason on the pretext of their being of Naxalites. The fact is, as has been stated in the M.L.A's report, there was a dispute over the wages. The landlords were not prepared to pay the wages being demanded by labourers a case of theft was fabricated and thereafter the D.S.P. was bribed and the money was collected by the landlords. It is known to everybody in the village that money was collected and the D.S.P. was bribed and he alongwith the police were taken there and then this incident took place. This is a unique incident. Such a thing has never been witnessed since independence. Such incidents are taken place in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan and other States. If our Government cannot provide protection to Harijans and other poor people and the minority community and if it is unable to save the people from

such massacres, then I feel the condition cannot remain normal in the country. What is this Democracy where such chaotic conditions are prevalent. That State is under congress rule but Home Minister has not received the detailed report, inspite of so many killings there. I, therefore, request that Central Government should either depute a high official or Home Minister or Deputy Home Minister may go there and punish the guilty after holding inquiry, otherwise there would be great agitations in the country against this. I request that those persons may be given protection.

Shri Ram Niwas Mirdha : There have been conflicts in that area regarding land and wages and much tension was there. The hon. Member has referred to a report sent by three M.L.A's of Bihar Assembly. I have also received letter from one or two members. They have been sent to the State Government for investigations. The hon. Member may also send me the report and we will send that also for investigations. Investigations have to be conducted by the State Government. Whatever possible would be done by the Government of India. Our officers would go there and conduct investigations. We need the assistance of State Government for that. We would discuss this with them. So far as the question of undertaking all investigations at the level of Central Government is concerned, it is not possible. We can do to a little extent only by ignoring the administration of the State Government. But I hope that the promptness with which the State Government ordered the Commissioner to make investigations and report, would bear good results.

Shri Bhola Raut (Bagha): Sir, I had also given notice of a Calling Attention but my name could not come in ballot. Bihar Government is concealing the facts on the pretext of their being Naxalites. I want to give you clear picture. Therefore, I may also be given an opportunity.

Mr. Speaker : I have not called your name. Your name is not there. We cannot go against the rules.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सूची में दर्ज नामों में से दो ही सदस्य उपस्थित थे । आज अन्तिम दिन होने के कारण कृपया थोड़ी उदारता दिखाएं ।

Mr. Speaker : You know the rules. Only those people can speak whose names are there in the ballot. If I agree to it today, this will happen daily. Then the hon. Members would raise objections.

(Interruptions)

Mr. Speaker : Your name has not come in the ballot. खेद है, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती (**व्यवधान**) कृपया बैठ जाएं । चाहते हुए भी मैं ऐसा नहीं कर सकता ।

विशेषाधिकार के प्रश्न

QUESTIONS OF PRIVILEGE

अध्यक्ष महोदय : अब मैं विशेषाधिकार के कुछ प्रश्नों की चर्चा करूंगा क्योंकि आज सभा का सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाएगा, सब से पहले 'गुंडा' और 'गुंडाई' शब्दों के प्रयोग के बारे में प्रश्न है जो श्री उन्नीकृष्णन ने 3 मई, 1973 की सभा में उठाया था जिसमें श्री मधु लिमये के भाषण का बम्बई से प्रकाशित 'इंडियन एक्सप्रैस में छापा गया था ।

खेद है कि इन शब्दों का उल्लेख यहां की कार्यवाही में किसी न किसी कारण करना पड रहा है । तब श्री लिमये ने इन शब्दों का प्रयोग किये जाने से इंकार किया था ।

जैसाकि मैंने तब कहा था कि संबंधित समाचारपत्र के सम्पादक से पूछा जाएगा, तो उन्होंने अपने 7 मई, 1973 के पत्र में लिखा है कि जिस संवाददाता ने श्री लिमये के भाषण की रिपोर्ट तैयार की थी उसका कहना है कि श्री लिमये के भाषण का ठीक ठीक अनुवाद करके उक्त समाचार छापा गया है फिर भी हो सकता है कि वह श्री लिमये को ठीक से न सुन पाए हों।

तथापि उन्होंने विश्वास दिलाया है कि उक्त संवाददाता, सह सम्पादक जिसने उक्त समाचार को अकबार में शामिल किया, की यह आशय कदापि नहीं था कि सभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया जाए।

उक्त समाचार पत्र के प्रधान सम्पादक के दिनांक 10 मई, 1973 के पत्र में भी यही उद्गार प्रकट किए गए हैं, इसी प्रकार के पत्र मुद्रक और प्रकाशक तथा स्टाफ संवाददाता से भी प्राप्त हुए हैं।

यदि सभा सहमत हो तो उक्त स्पष्टीकरण एवं खेद-व्यक्ति को देखते हुए इस मामले को यहीं समाप्त समझा जाए।

आशा है सभा इससे सहमत होगी।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : तो आप सब सहमत हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इन शब्दों पर कार्यालय द्वारा काफी अनुसंधान कराया है और उन्होंने इन शब्दों के हिन्दी, अंग्रेजी और मराठी अर्थ बताने वाली एक सूची तैयार की है, और सभी भाषाओं में इसके अर्थ बुरे ही हैं, अतः मैं इस पर कोई आगे कार्यवाही नहीं चाहता और न यह कि श्री लिमये सहित किसी सदस्य के लिए शोभनीय है कि वह इसका पक्ष ले। आशा है कि सदस्यगण आगे से इसका प्रयोग नहीं करेंगे। श्री लाल जी भाई के विशेषाधिकार के प्रश्न को रेलवे अधिकारियों के पास जांच के लिए भेजा गया था परन्तु क्योंकि वह इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है अतः मैं इसे विशेषाधिकार समिति को भेज रहा हूं-क्या आप सहमत हैं ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : श्री फूल चन्द वर्मा के विशेषाधिकार संबंधी मामले को मंत्रालय के पास रिपोर्ट के लिए भेजा गया है और वे तथ्य एकत्र कर रहे हैं। यह मामला लंबित है, समाप्त नहीं हुआ है। अब पत्र सभापटल पर रखे जाएंगे।

Shri B. S. Bhaura (Bhatinda) : Sir, you know, buses are being burnt in Punjab.

(*Interruptions*)

Mr. Speaker : Not in this manner. You may speak when I call your name.

Shri Phool Chand Verma : Sir, I want to make a submission with regard to a matter of privilege.

Mr. Speaker : I am still keeping it. I have not dropped it yet.

Shri Phool Chand Verma : I want to make a submission. Please give me one minute. I want to place before you a Press Cutting. Collector had gone there for inquiry. . . .

Mr. Speaker : Therefore, I have sent it to the Committee. You had told me this when you met me and that is why I have sent it.

Shri Phool Chand Verma : Police is harassing the witnesses. Pressure is being put on them to change their statements. People are taken to Police Stations and locked up there for the night. It has appeared in the Newspapers. I, therefore, submit that this is a second matter of privilege against Police.

Mr. Speaker : I will look into it. I cannot say anything off hand. You may give it to me in writing.

Shri Phool Chand Verma : Please listen for a minute.

Mr. Speaker : How can it be twice ? When the matter is taken up during the next session I would ask you to speak.

Shri Phool Chand Verma : Police is exerting pressure on witnesses. They are terrorising the witnesses. Police is trying to hush up the matter.

Mr. Speaker : You may give it to me in writing. I will forward it.

Shri Phool Chand Verma : I want to make a request. Sir, It has appeared in 'Daily Swadesh' dated the 3rd May, 1973 that the District Magistrate had gone there to conduct an inquiry on the spot. Statements given before him testified the misbehaviour on the part of police and nobody gave a statement in favour of Police. It is understood that, perturbed over it, the Police officers went to that area in a jeep during the night and by creating a terror, they took some people to Dewas to tender statements in favour of Police. They were detained there for the night and were tortured in various ways.

Sir, I have given you this cutting from a newspaper.

Mr. Speaker : This is why I have kept the matter pending. I have not dropped it.

अध्यक्ष महोदय : श्री नायक, आप क्यों खडे है ?

श्री बी० बी० नायक (कनारा) : मैं नियम 377 के विवेदन के बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी सूचना की अनुमति नहीं दी ।

श्री बी० बी० नायक : अध्यक्ष के लिए उक्त मामले को अगले सत्र का प्रथम दिन निश्चित करना क्या उचित है ....

अध्यक्ष महोदय : गलत अवसर पर कृपया खड़े मत हों ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय मे उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : मैं श्री राज बहादुर की ओर से मास्टरों और मेटों की परीक्षा (संशोधन) नियम, 1973 को जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 मार्च, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 272 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5085/73]**

औद्योगिक विकास और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1971–72 कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1971–72 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5086/73]**

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : मैं दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 25 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1969–70 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5087/73]**

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : मैं श्री के० बी० रघुनाथ रेड्डी की ओर से शासी निकाय के आकार में वृद्धि से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संविधान में संशोधन करने के लिये लिखत के अनुसमर्थन के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5088/73]**

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीति राज सिंह चौधरी) : मैं महा-प्रशासक अधिनियम, 1963 के अधीन जारी किये गये महा प्रशासक (दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिल्ली राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या एफ० 22/3/72 जुडिशियल में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय म रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5089/73]**

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : मैं "वार्षिक योजना, 1973–74" (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 5090/73]**

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) मणिपुर राज्य के वर्ष 1973–74 की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण (हिन्दी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5091/73]**

(2) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1970–71 के प्रतिवेदन—केन्द्रीय सरकार (वाणिज्यिक) भाग 3—त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 5092/73]**

(3) (क) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सं० नि० 217 (ङ) से 220 (ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सं० नि० 227 (ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 मई, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[श्री के० आर० गणेश]

(तीन) सा० सां० नि० 293 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 24 मार्च, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा० सां० नि० 328 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 31 मार्च, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा० सां० नि० 330 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 31 मार्च, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छः) सा० सां० नि० 183 (ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 31 मार्च, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा० सां० नि० 409, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा० सां० नि० 426, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ख) उपर्युक्त मद (तीन) से (आठ) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण । [**ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 5093/73**]

(4) (क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अधीन जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 213 (ङ) से 216 (ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सां० नि० 290, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 24 मार्च, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा० सां० नि० 359, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा० सां० नि० 408, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ख) उपर्युक्त मद (दो), (तीन) और (चार) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण । [**ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 5094/73**]

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग मे राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । [**ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 5095/73**]

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 3 मई, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 229 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 3 मई, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 230 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (आपात कमीशन प्राप्त और अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी) (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) दूसरा संशोधन विनियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 मई, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 336 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (आपात कमीशन प्राप्त और अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी) (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) दूसरा संशोधन विनियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 मई, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 237 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) दूसरा संशोधन विनियम 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 मई, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 238 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(छः) भारतीय पुलिस सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) दूसरा संशोधन विनिमय 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 मई, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 239 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) तीसरा संशोधन नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 मई, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 240 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) दूसरा संशोधन नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 मई, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 241(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 5 मई, 1973 में अधिसूचना सख्या सा० सां० नि० 451 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 5 मई, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 452 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारताय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) दूसरा संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 12 मई, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 483 में प्रकाशित हुए थे।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं मंत्रियों के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1952 की धारा 11 की उपधार (2) के अन्तर्गत मंत्रियों के (वेतन, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 3 मई, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 228 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय मे रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5096/73**]

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं [हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण] की एक-एक प्रति—

(एक) उर्वरक के वितरण के बारे में सा० सां० नि० 327(ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 जुलाई, 1972 में प्रकाशित हुए थे।

[श्री राम निवास मिर्धा]

(दो) उर्वरक के वितरण के बारे में सा० सां० नि० 362 (ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई, 1972 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) उर्वरक के वितरण के बारे में सा० सां० नि० 422(ङ), जो भारत के राजपत्र दिनांक 30 सितम्बर, 1972 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रख गये। देखिये संख्या एल० टी० 5097/73।**]

(2) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 के खण्ड 21 के अधीन जारी की गयी अधिसूचना संख्या सां० सा० नि० 345(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई, 1972 में प्रकाशित हुई थी। [**ग्रंथालय म रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 5098/73।**]

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं **प्रो० शेर सिंह** की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (क) आन्ध्र प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 18 जनवरी 1973 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित आन्ध्र प्रदेश पंचायत समिति और जिला परिषद् अधिनियम, 1959 की धारा 69 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :–

(एक) जी० ओ० एम० संख्या 308 जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सांविधिक पंचायत समितियों और जिला परिषदों के विभिन्न संवर्गों के सदस्यों की नियुक्ति और स्थानान्तरण के लिए सक्षम प्राधिकार से सम्बन्धित नियमों में कतिपय संशोधन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(दो) जी० ओ० एम० संख्या 399 जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सांविधिक पंचायत समितियों और जिला परिषदों के विभिन्न संवर्गों के सदस्यों की नियुक्ति और स्थानान्तरण के लिए सक्षम प्राधिकार से सम्बन्धित नियमों में कतिपय संशोधन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(तीन) जी० ओ० एम० संख्या 523 जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 नवम्बर, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा आन्ध्र प्रदेश पंचायत समिति (प्रशासन प्रतिवेदन नियम), 1961 में कतिपय संशोधन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(चार) जी० ओ० एम० संख्या 543 जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 नवम्बर 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा आन्ध्र प्रदेश जिला परिषद् प्रशासन प्रतिवेदन नियम, 1961 सम्बन्धी नियमों में कतिपय संशोधन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(पांच) जी० ओ० एम० संख्या 548 जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 दिसम्बर, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा आन्ध्र प्रदेश पंचायत समिति तथा जिला परिषद् सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1960 में कतिपय संशोधन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(छः) जी० ओ० एम० संख्या 556 जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 नवम्बर, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा आन्ध्र प्रदेश पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अनुसचिवीय सेवा नियमों में कतिपय संशोधन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

(सात) जी० ओ० एम० संख्या 578 जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जिला परिषदों के कार्यालयों, उनके गोदामों आदि को स्थापित करने के हेतु, लिये गये निजी भवनों के किराये की मंजूरी को विनियमित करने वाले नियम में कतिपय संशोधन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पणी ।

(ख) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को राज्य विधान मण्डल के समक्ष न रखे जा सकने के कारण स्पष्ट करने वाले सात विवरण ।

(ग) उपर्युक्त अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाले सात विवरण । [**ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 5099/73 ।**]

(2) उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा, दिनांक 3 मार्च, 1973 के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित उड़ीसा पंचायत समिति अधिनियम, 1959 की धारा 57 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 319/73 की एक प्रति जो उड़ीसा राजपत्र दिनांक 17 मार्च, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उड़ीसा जिला परिषद् तथा पंचायत समिति लेखा प्रक्रिया नियम, 1961 में कतिपय संशोधन किये गये हैं । [**ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5100/73 ।**]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के-अन्तर्गत एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति :

(एक) मैसर्ज डनलप इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता, के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 21 (3) (ख) के अन्तर्गत प्रतिवेदन तथा उस पर केन्द्रीय सरकार का आदेश, दिनांक 8 जनवरी, 1973 तथा विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय से मैसर्ज डनलप इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता को दिनांक 9 मई, 1973 के पत्र की एक प्रति ।

(दो) मैसर्ज आटोमोबाइल प्रोडक्टस आफ इण्डिया लिमिटेड तथा मैसर्ज बजाज आटो लिमिटेड के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 21 (3) (ख) के अन्तर्गत प्रतिवेदन तथा उस पर केन्द्रीय सरकार का आदेश, दिनांक 30 नवम्बर, 1972 तथा दिनांक 1-1-1973 का शुद्धि पत्र ।

(तीन) मैसर्ज दिल्ली क्लोथ एण्ड जनरल मिल्स कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 21(3) (ख) के अन्तर्गत प्रतिवेदन और केन्द्रीय सरकार का आदेश, दिनांक 8 मार्च, 1973 ।

(चार) मैसर्ज नीशा एण्ड कम्पनी, बम्बई, के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 21 (3) (ख) के अन्तर्गत प्रतिवेदन तथा उस पर केन्द्रीय सरकार का आदेश, दिनांक 14 सितम्बर, 1971 ।

[श्री वेदव्रत बरुआ]

(पांच) मत्तूर कैमिकल्स एण्ड इंडस्ट्रीयल कारपोरेशन लिमिटेड के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 21(3) (ख) के अन्तर्गत प्रतिवेदन और केन्द्रीय सरकार का आदेश, दिनांक 27 सितम्बर, 1971।

(छः) मैसर्ज मैकनील्स एण्ड बैरी लिमिटेड, कलकत्ता के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 23(6) के अन्तर्गत प्रतिवेदन और उस पर केन्द्रीय सरकार का आदेश, दिनांक 9 फरवरी, 1973।

(सात) मैसर्ज लारसन एण्ड टूबरो लिमिटेड के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 23(6) के अन्तर्गत प्रतिवेदन और केन्द्रीय सरकार का आदेश, दिनांक 11 अक्तूबर, 1972।

(आठ) बिलकोक्स बक्वैल इंडिया लिमिटेड के मैसर्ज लारसन एण्ड टूबरो लिमिटेड के साथ विलय के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 23(6) के अन्तर्गत प्रतिवेदन तथा उस पर केन्द्रीय सरकार का आदेश, दिनांक 3 सितम्बर, 1971।

(नौ) बंगाल एण्ड आसाम इनवेस्टरर्स लिमिटेड, कलकत्ता और जे० के० एजेंट्स (प्राइवेट) लिमिटेड के एम० पी० इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भोपाल के साथ विलय के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 23(6) के अन्तर्गत प्रतिवेदन तथा केन्द्रीय सरकार का आदेश, दिनांक 5 नवम्बर, 1971।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदनों के अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5101/73।]**

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं चाय अधिनियम, 1953 की धारा 49 की उपधारा (3) के अन्तर्गत चाय (संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र, दिनांक, 7 अप्रैल 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 368 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 5102/73।]**

शिक्षा और समाज कल्याण और संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1971–72 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 5103/73।]**

(2) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के वर्ष 1971–72 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5104/73।]**

(3) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1971–72 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5105/73।]**

(4) (एक) राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान बम्बई के वर्ष 1971–72 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ हिन्दी संस्करण सभा पटल न पर रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०5106/73**]

(5) स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर नई दिल्ली के वर्ष 1971–72 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5107/73**]

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जया उर्रहमान अंसारी) : मैं श्री पी० के० मुकर्जी की ओर से (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अन्तर्गत न्यू मानकचोक स्पिनिंग एण्ड वीविंग कम्पनी लिमिटेड, अहमदाबाद के प्रबन्ध के बारे में अधिसूचना संख्या सा० आ० 202 (इ) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र दिनांक 6 अप्रैल, 1973 में प्रकाशित हुई थी। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5108/73**]

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जया उर्रहमान अंसारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 19 की उपधारा (1) अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदन की एक-एक प्रति :—

(एक) नारियल जटा बोर्ड, के क्रियाकलापों और नारियल जटा उद्योग अधिनियम 1953 के वर्ष 1971–72 के कार्यकरण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नारियल जटा बोर्ड के क्रियाकलापों और नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1973 के 1 अप्रैल, 1971 से 30 सितम्बर, 1971 तक की अवधि के कार्यकरण सम्बन्धी अर्धवार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण)। [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5109/73**]

(2) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशन बोर्ड (संशोधन) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 7 अक्तूबर, 1972; अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 1250 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5110/73**]

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध चन्द्र हंसदा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नेवेली (तमिल नाडु) के वर्ष 1971–72 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नेवेली, (तमिल नाडु) का वर्ष 1971–72 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणीयां।

(2) उपर्युक्त दस्तावेजों का सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5111/73**]

सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधित समिति
COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS

कार्यवाही सारांश

श्री एस० सी० सामन्त : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई नवीं और दसवीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश में विषाक्त भोजन से 6 व्यक्तियों की कथित मृत्यू क बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE. REPORTED DEATH OF SIX PERSONS IN U.P. DUE TO FOOD POISONING

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : श्री शिन्दे की ओर से मैं उत्तर प्रदेश में विषाक्त भोजन से 6 व्यक्तियों की कथित मृत्यु के बारे में एक वक्तव्य सभापटल पर रखता हूं।

वक्तव्य

उत्तर प्रदेश सरकार से जांच करने पर पता चला है कि बांदा जिले में किसी उचित मूल्य की दुकान को कोई माइलो नहीं दिया गया था और इसलिए उक्त जिले में राशन का माइलो खाने से कोई व्यक्ति नहीं मरा है।

जहां तक माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित बांदा जिले में विषाक्त भोजन से हुई कथित मौतों के विशिष्ट मामलों का सम्बन्ध है, राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि कालू नामक व्यक्ति ने 3 मई, को एलानी पुलिस स्टेशन में यह रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसके पांच सम्बन्धी उस आटे की रोटी खाने के बाद बीमार पड गए थे जोकि उनकी चचेरी बहन द्वारा अलोना गांव में भीख में मांगे गए आटे से बनाई गई थी। उक्त पांच सम्बन्धियों में से तीन व्यक्ति अस्पताल में किसी प्रकार की चिकित्सा सम्बन्धी सहायता मिलने से पूर्व ही मर गए थे जबकि शेष दो व्यक्तियों को ठीक होने पर घर भेज दिया गया था। उनकी शव परीक्षा से उनकी मौत के ठीक-ठीक कारणों का स्पष्ट पता नहीं लग सका है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 'विसकीरा' रासायनिक परीक्षक को भेजा जा रहा है। हम उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि वे इस मामले में यदि कोई और निष्कर्ष निकले हों उसके बारे में लिखें।

सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण
PERSONAL EXPLANATION BY MEMBERS

Shri Chandra Shailani (Hathras) : Sir, during the discussion held in this House on 10th May with regard to Fertilizer Corporation of India, Shri S. M. Banerjee had read one letter and attributed that letter to me. I do not want to go into details with regard to the contents of the letter but I want to submit that I have seen a photostate of the letter referred by Mr. Banerjee. I had not written the said letter. This is not a typed letter, but has been written in hand. I would request that the said letter may be sent to some hand writting expert. If it is established to be in my hand-writing I am prepared to face the consequences.

In the said letter mention has been made of Shri K. D. Malviya and Shri Haksar. In that regard I have to say that so far as Shri Malviya is concerned he is one of the senior Leaders of the country. He has made sacrifices for the country and people. Shri Haksar has also served the country and the people. Their contribution can not be forgotten.

Mr. Speaker : Do not start discussion.

Shri Chandra Shailani : All right, I want to say that the said letter has not been written by me.

संविधान (32 वाँ संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (THIRTY-SECOND AMENDMENT) BILL

गृह मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए" ।

श्री समर गुहा (कन्टाई) : मैं इन कारणों से इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

8 दिसम्बर, 1967 को सभा द्वारा पास किए गए एक संकल्प के अनुसरण में सभी दलों की एक समिति बनाई गई थी जिसकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी और सदस्यों को भी भेजी गई थी ।

मैं विधेयक के उस उद्देश्य से सहमत हूं कि केन्द्र में प्रधान मंत्री और राज्यों में मुख्य मंत्री क्रमश: लोक सभा और विधान के ही सदस्य हों और वह छ: मास के अन्दर अन्दर निर्वाचित सदस्य बन जाएं ।

समिति की एक सिफारिश मंत्रिमंडल की संख्या सीमित करने के बारे में भी थी ।

अध्यक्ष महोदय : यह बातें तो विधेयक पर विचार करते समय भी कही जा सकती ह न कि पुर:स्थापना के समय ।

श्री समर गुह : उक्त रिपोर्ट के अनुसार मंत्रियों की संख्या सीमित न रखने से ही दल-बदल होता है और उसे बढ़ावा मिलता है ।

दुर्भाग्य से सत्ताधारी दल में लगभग सभी विरोधी दलों से सदस्य दल-बदल कर घुसे हुए है ।

अब कांग्रेस दल में ही दल-बदल के आसार नज़र आ रहे हैं । राज्यों में कांग्रेस दल से दल-बदलने के आसार नज़र आ रहे हैं । कांग्रेसी कांग्रेसियों से भिड़ रहे हैं । सरकार अपने दल की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिये विरोधी दलों के सदस्यों से परामर्श किये बिना ही यह विधेयक लायी है । विधयक पुर:स्थापित करने से पूर्व सरकार को इस सम्बन्ध में विरोधी दलों से परामर्श करना चाहिये था । मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं । यह विधेयक सत्तारूढ़ दल की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये लाया गया है । इस विधेयक का वापस लिया जाना चाहिये और विरोधी दलों से परामर्श कर के जो कुछ सर्वसम्मति से निर्धारित किया जाय उसके अनुसार नया विधेयक लाया जाना चाहिये ।

श्री उमाशंकर दीक्षित : माननीय सदस्य ने बहुत सी बातें उठायी है । इस सभी बातों पर स्वतंत्र रूप से तब विचार किया जा सकता है जब विधेयक विचार के लिये लाया जायेगा । सदन की इच्छा थी कि इस प्रकार का विधेयक लाया जाना चाहिये . . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री उमा शंकर दीक्षित : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

विशेषाधिकार के प्रश्न

QUESTIONS OF PRIVILEGE

Shri Madhu Limaye (Banke) : Sir, I want to raise a question of privilege about continued violation of the provisions of the Tariff Commission Act for three years by Ministers of the Central Government.

Section 16(2) of the said Act provides :

> 'A copy of each of the last reports of the Tariff commission, alongwith Government's decision thereon, should be presented to the House within a period of three months. If the said report can not be presented within the stipulated period, a statement giving the reasons for delay should be laid before the parliament.

This law has conferred an important right on this Parliament to receive recommendations of the Tariff Commission. This Commission comprises experts. That investigations give relief to the consumers from high prices. When there is no control on prices it leads to inflation and price rise leads to bad economy.

Since the march of the country towards Pseudo Socialism, the Foreign Trade Ministry under the charge of Shri L. M. Misra started suppression of Tariff Commission recommendations. The report of the Commission has become a sort of instrument to collect funds from Capitalists. In lieu thereof Capitalists were given free hand to raise prices, artificial scarcity was created and process of sucking blood of small weavers and consumers started.

Information provided by the Ministry of Foreign Trade after my correspondence with the Lok Sabha Secretariate reveals :

1. Tariff Commission report reg. Viscose Acitate Filament and Staple Fibre was received by the Government in the beginning of 1970. But it has not been placed before the House so far nor reasons for dealy have been given;
2. Synthetic Fibre Report was submitted to the Government in September 1970. Neither it has been made public nor reasons for the delay have been given;
3. Staple Fibre Yarn Report was received by the Government in August, 1972. It has also been similarly suppressed;
4. Parliament and Public have been kept in dark about the report regarding various Jute products.
5. Tariff Commission Report regarding Sugar was received by the Government in 1969. Four years have passed but wisdom has not yet dawned on the Ministry to present it to the House;
6. Report regarding Dalda Vanaspati was received in 1971 but the same has also been suppressed;
7. Report Reg. Linolium was received by the Government in the middle of 1971 but it has also not been presented to the House. The reasons for the delay have not been given;
8. Report reg. Synthetic Rubber was received by the Government in August 1971. It has also met with the same fate.

It is quite clear that Synthetic yarn, Vanaspati, Synthetic Rubber and Sugar have registered a steep rise and crores of rupees have been made in these. Capitalists, bureaucrats and Ministers have shared this loot. Consumer is being pulverised.

Mr. Speaker : Confine yourself to the Technical objection. Then hon. Minister would reply to that.

Shri Madhu Limaye : Sir, I had sent you in writing the reasons for raising this issues. You asked me to delete a word from the written statement. I have deleted the same, though there was nothing undignified and unparliamentary about that. Please allow me to read that.

With encouragement from Shri Lalit Narain Misra these Ministries have made India hot-bed of profiteering loot and corruption.

This violation of the rights of Parliament and public interests, done knowingly is a direct result of brute majority obtained in 1971. Sir, did the hundreds of young men sacrifice their lives during the Freedom Struggle for this day ?

Comparative study of two hundred big Industrial firms reveals that their average capital yielded net profit of 10.9 percent, sales yielded net profit of 11.3% and owned capital yielded 10.09%.

But the following five big producers of Nylon yarn made huge profits by violating this mandatory provision of Tariff Commission.

Profits for 1971-72

Name of the Company	Gross profit on Capital	% of the total Sales	%of the owned capital
J. K. Synthetic	21.6	34.3	32.8
Modipan .	23.3	38.6	21.1
Nyrlon Synthetics	10.9	18.3	14.5
Garware Nylons	22.6	46.8	17.6
Century Enca	28.7	56.2	31.1

There have not been so much of profits in any industry as in the case of manufacturers of Synthetic yarn. These figures do not include profits on 'R' Account. A Cabinet Minister, I won't reveal the name, told me that profits of these Companies have been much more than shown in their Annual Reports.

Declared Profits of these five Companies for 1971-72 were as under :—

Name of the Company	Total Profit
J. K. Synthetics . .	8.42 crores
Modipan	4.67 crores
Nyrlon Synthetics	2.07 crores
Garware	1.84 crores
Century Enca .	2.82 crores

[Shri Madhu Limaye]

It should be remembered that the Government is kind towards Singhaina of J. K. Synthetics and Gujar Mal Modi of Modipan. Few years ago, the Government had conferred the title of 'Padma Bhusan' on Shri Modi. He has invested capital in Maruti Ltd. He has given huge donations to Ruling Party. It is known to God only how much out of it was taken by Ministers.

Under the patronage of Government, J. K., Modipan, etc., are expanding their installed capacity and eliminating new and small manufacturers from the field Modipan has increased its capacity from 6 tonnes per day to 12 tonnes per day and J. K. Synthetics have raised their production capacity from 6 tonnes to 14 tonnes per day. This expansion of production has reduced their cost of per unit production. But did they reduce the cost of yarn? No. They further increased the prices due to non publication of the Tariff Commission report 'raise prices' movement by these companies gained more momentum. Inspite of price agreements by these companies prices are sky rocketing. It is clear from the following facts :

Daniar	Price under the agreement	Actual price on 31st March	Actual price on 14th April	Actual price on 24th April
15	74.00	90.00	110.00	105.00
20	70.00	77.00	89.00	91.00
40/10 S.D. . .	62.00	67.00	78.00	80.00
76/20 S.D. . . .	60.00	68.00	77.00	76.00

Infringemnt of the legal rights of Parliament is contempt of the entire House. Mere apologies of the Ministers will not do like yesterday. There was a technical lapse on the part of Law Minister. He placed the reports in the Library and not on the Table of the House. But in this matter a contempt of the House has been committed and also severe damage has been done to public interest deliberately. You should constitute a special committee to look into matter as it happens in England or you can yourself refer this matter to the Privilege Committee under rule 227.

This is not a matter of Congress versus opposition. This is a question of infringement of the rights of Parliament by the executive. My young and old friends of the ruling party should take as much interest in this matter as I am taking.

There is majority of the ruling party in the Privileges Committee. Therefore, they should not worry that the Privileges Committee, in its deliberations, will be inspired by party considerations.

I want to bring a case of contempt of the House under rule 225 against the Ministers in Foreign Trade Ministry now Commerce Ministry, the Food Ministry and the Industrial Development Ministry, who are guilty of not placing on the Table of the House the said Reports of the Tariff Commission during their tenure.

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : माननीय सदस्य ने कुछ तथ्य दिये ह और कुछ काल्पनिक बात कही हैं। काल्पनिक बातों में उन्होंने कुछ गम्भीर आरोप लगाये हैं जो निराधार हैं । जहां तक टैरिफ़ आयोग के प्रतिवेदनों को सभा पटल पर न रख जाने का प्रश्न है, टैरिफ़ आयोग द्वारा प्रस्तुत किये गये 7 प्रतिवेदनों में से तीन प्रतिवेदन सभा पटल पर नहीं रखे गये हैं । यह सच है कि ये प्रतिवेदन विस्कोज, ऐसीटेट तंतु और तन्तुर सेश्लिष्ट रेशे, तन्तुर और कते हुये धागों के विषय में हैं ।

मैं माननीय सदस्य की इस बात से भी सहमत हूं कि धागों के मूल्य में अनुचित वृद्धि हुई है । आयोग के विभिन्न प्रतिवेदन विभिन्न मंत्रालयों से सम्बद्ध हैं । अत: विभिन्न मंत्रालयों से परामर्श करके ही उन पर निर्णय किया जा सकता है । समय व्यतीत होने के साथ बहुत सी नई बातें पैदा हो गई हैं, न्यायोचित मूल्य निर्धारित करने के मामले में इन बातों को भी ध्यान में रखना है ।

मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि कानूनी उपबन्धों का अनसरण नहीं किया गया है और हमें इसके लिये बहुत खेद है । मूल्यों में हुई अनुचित वृद्धि की ओर ध्यान दिया जायेगा और न्यायोचित मूल्य निर्धारित किया जायेगा ।

Shri Madhu Limaye : Sir, I want to point out that as you had sent a matter to the Privileges committee yesterday under rule 277, to avoid debate and discussion on that matter, similar action may be taken in this matter also.....(*Interruptions*).....either do so there will be no debate and my old and young friends of that side.....

Shri Md. Jamilurrahman (Kishanganj) : He has not taken the name of his friend Dhundhunia Company .....

Shri Madhu Limaye : They are not my friends, I want to challenge his statement (*Interruptions*).....

Mr. Speaker, the simple point is whether the matter will be referred to the Privilege committee under rule 227 without any discussion in the House...

अध्यक्ष महोदय : कल भी जब यह मामला उठाया गया था कि मंत्री ने प्रतिवेदन सभा पटल पर नहीं रखा था और उसके लिये खेद व्यक्त किया था तो हमने उसे स्वीकार कर लिया था ।

Shri Madhu Limaye : I do not accept the regret. This is not a technical lapse. I may be allowed to beg leave of the House .....(*Interruptions*).....I am not accepting it. I am seeking leave of the House under rule 225.

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने गलती मान ली हैं और खेद व्यक्त किया है ? इससे अधिक और क्या चाहिये ।

Shri Madhu Limaye : Are you rejecting it ? I want your ruling. I am on a point of order, ... (*Interruptions*) .....Shri Gokhale had placed in the Library atleast there nothing has been done.

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से हमें मंत्री महोदय के खेद प्रकट करने की बात मान लेनी चाहिये । जहां तक निर्देशोंका प्रश्न है, आवश्यक निर्देश दिये जाने चाहिये । प्रतिवेदन में मूल्य ढ़ांचे तथा अन्य दूसरी बातों का जो संदर्भ दिया गया है उन पर सदन में चर्चा होनी चाहिये । जहां तक प्रक्रिया, तकनीकि तथा कानून का प्रश्न है मंत्री महोदय खेद व्यक्त कर चुके हैं । हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिये तथा भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो इस बात पर जोर देना चाहिये ।

Shri Madhu Limaye : Sir, this is not a technical lapse. You allow me to seek leave of the House.

अध्यक्ष महोदय : इसमें विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : अध्यक्षपीठ द्वारा इसकी भर्त्सना की जानी चाहिये क्योंकि प्रतिवेदन प्रस्तुत न किये जाने से देश की अर्थव्यवस्था गम्भीर रुप से प्रभावित हुई है ।

अध्यक्ष महोदय : भर्त्सना करने की बात मुझे स्वीकार नहीं है । मंत्री महोदय ने खेद व्यक्त कर दिया है । मैं इससे सहमत हूं ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, please excuse me. Please let the proceeding of the House go on properly. This is not a technical lapse. You allow me under rule 225 ... (*Interruptions*)...

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे उचित नहीं मानता । मैं इसके लिये अनुमति नहीं दे रहा हूं (व्यवधान)...

Shri Madhu Limaye : I am not accepting his regret, you please allow me .....

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यह बहुत ही गम्भीर मामला है । उसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिये ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : कल का तथा आज का मामला अलग अलग है । कल के मामले में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, इस मामले में ऐसा नहीं किया गया है । वास्तव में जानबुझकर विशेषाधिकारों का हनन किया गया है । उपलब्ध प्रावधानों को उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिये । माननीय सदस्य को सदन की अनुमति मिलनी चाहिये ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, I do not agree because had there been a technical lapse I would have agreed. Why are you doing this ? There has been considerable correspondence since 4th instant on this issue. I have not taken any hastly action. You may kind allow me to seek leave of the House (*Interruptiions*)...I am on a point of order. If they have to defeat it, then I have nothing to say. But you may refer this matter to the House. This is not a technical lapse. I am not prepared to forgive him. I have prepared a *Prima facie* case. You may defeat it, you have the right to do so. I want your ruling on this matter I am on a point of order.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : माननीय सदस्य ने विलम्ब के कारण बताये है । उन्होंने यह बात प्रमाणित की है कि इस विलम्ब से भारतीय अर्थव्यवस्था को हानि हुई है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि सदन किस अन्य विषय पर चर्चा करना चाहता है तो कर सकता है । परन्तु जहां तक इस कानूनी मामले का प्रश्न है कि प्रतिवेदन 3 माह के अन्तर्गत प्रस्तुत नहीं किया गया, मंत्री महोदय ने यह बात स्वीकार कर ली है और अपनी गलती के लिये खेद प्रकट किया है । मैंने इसे सदन के समक्ष रखा और मैंने सुना है कि माननीय सदस्यों ने इसे स्वीकार कर लिया है ।

श्री समर गुह : मामला सदन में नहीं रखा गया ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मैं कल और आज के मामले का अन्तर बताना चाहता हूं । आज की बात यह है कि प्रतिवेदन के प्रस्तुत न किये जाने से देश की अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंची है । अतः इसके लिये केवल खेद प्रकट कर देना पर्याप्त नहीं है । क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंची है अतः हम यह समझते हैं कि प्रतिवेदन को प्रस्तुत न करने में जानबुझकर गलती की गई है ।

Mr. Speaker : You can discuss it.

Shri Madhu Limaye : You dispence with every matter by way of short duration discussion.

Mr. Speaker : You can have long term duration discussion.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I agree with Shri Madhu Limaye to the extent that these reports should have been placed before the House under the rules. The hon'ble Minister has violated it and he is guilty. But he has tendered unqualified apology for that. Shri Limaye is also of the view that a number of irregularities have been there due to the non-submission of these reports, the prices of commodities have gone up the manufacturers have been in collusion with the hon. Minister. I think that this is a serious matter. But it is not a privilege issue. An opportunity should be given to discuss this matter separately.

Shri Madhu Limaye : What is he saying—there is a breach of rights of Parliament and he says that it is not a privilege issue.

Mr. Speaker : Shri Vajpayee has pointed out that it should be discussed. I have no objection to it and we shall fix time for the same. In so far as the question of privilege is concerned that matter is closed.

प्रो० मधु दंडवते : क्या आपका यह निर्णय है कि इसमें विशेषाधिकार की कोई बात नहीं है ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप अन्य बातों पर चर्चा करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है मैं उसके लिये अनुमति दे दूंगा ।

प्रो० मधु दंडवते : क्या आपका यह निर्णय है कि इस मामले में मानहानि जैसी कोई बात नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : आप सदन में चर्चा कर सकते हैं । परन्तु जहां तक विशेषाधिकार की बात है वह खेद व्यक्त करने के साथ समाप्त हो जाती है ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, there is no question of discussion. I want to raise a point of order. How can you proceed without listening to the point of order. You give your ruling on the point that I am going to raise. I speak with your permission.

Mr. Speaker : I know, that is with my consent. I am not giving my consent.

Shri Madhu Limaye : You may first listen to me and only then you can give your ruling.

Mr. Speaker : I know it, what is the use of reading it.

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, rule 225 reads as follows :—

"The Speaker, if he gives consent under rule 222 and holds that the matter proposed to be discussed is in order, shall, after the question and before the list of business is entered upon call the member concerned who shall rise in his place and while asking for leave to raise the question of privilege, make a short statement relevant thereto."

Now my question is this—have I not proved that legal rights of this House have been infringed and when legal rights of the House are infringed, it is called contempt of the House—according to May's Parliamentary Practice—first you give your first ruling on this matter.

My second question when you allowed this matter to be raised, he apologised. Had it been a technical matter. I would have accepted his apology when it has affected the economy adversely, the prices have gone high, then it is not an ordinary matter—so, you give your ruling on both the issues.

Mr. Speaker : It does not involve contempt of the House. I will not allow you. As I had heard yesterday so I have heard today. As apology was accepted yesterday, similarly it has been accepted today. I have given you a chance but I have not given my consent.

So far as the other matter is concerned, it is finished when he has expressed the apology.

This is your second matter.

नियम 377 के अन्तर्गत मामले

MATTERS UNDER RULE 377

Shri Madhu Limaye : What is the use of raising it when every thing is to be disposed of like this.

[Shri Madhu Limaye]

Mr. Speaker, two or three days ago some leaders of cooperative movement of West Bengal had come to us and they said that three sections of the Bill passed by the West Bengal Assembly on cooperatives are such that if they remain operative, they would take away the independent autonomous and non-official character of the cooperative organisations as is in existence throughout the world. In view of this, they requested us to raise the matter in this House.

You can ask as to why this matter is being raised when it pertains to the State ? This Bill has been reserved for the President's consideration and Section (200) of the Constitution reads as follows :

> "When a Bill has been passed by the Legislaltve Assembly of a State or, in the case of a State having a Legislative council, has been passed by both Houses of the Legislature of the State, it shall be presented to the Governer and the Governer shall declare either that he assents to the Bill or that he withholds assents therefrom or that he reserves the Bill for the consideration of the President....."

Had this Bill been confined to the assent of the Governer, it might have not been raised here. But as this Bill has been reserved for the President's consideration and the President does not take any decision on his own because he acts on the advice of central cabinet, let the cabinet hear our views. I want to raise three points only in brief—

Under Section 23 the Government and the Registrar have been given powers to remove any elected member from the working committee of the Society or whatever institution it may be. The decision to remove under sub-clause 11 of Section 23, cannot be challenged in any court of law.

Under Section 26, the Government and the Registrar have been given powers to remove the elected managing committee. Even this decision cannot be challenged in any court of law.

Under Section 27, The Registrar and the Government have the right to alter any resolution passed by the general Body.

In view of this I want to ask the hon'ble Minister, under whose Ministry it will be covered, perhaps it is the concern of the Planning Ministry, to consider our views Infringement of the powers of the court has to-day become a subject of discussion throughout the country, and in case, in such matters, the Government takes away the rights, of ordinary members and committees then we can anticipate two things—one, the importance of the court will be finished and second, there will be an end to the autonomous, independent and non-official character—I am putting more emphasis on this—of the cooperative movement. I have to make this very submission.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने भी पश्चिम बंगाल में सहकारी समितियों के अधिलंघन के विषय में आपको लिखा है ...

अध्यक्ष महोदय : इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : माननीय मित्र जो कुछ कह रहे है मैं भी उसका समर्थन करता हूं राष्ट्रपति को ऐसे विधेयकों पर अपनी अनुमति नहीं देनी चाहिये । जो सहकारी समिति की लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को समाप्त करते हैं ।

श्री एस० ए० कादर (बम्बई-मध्य दक्षिण) : हाल की वर्षा से अनाज तथा फसल को क्षति पहुंची है । ऐसे समाचार मिल रहे है कि मोगा तथा अन्य स्थानों पर अनाज भारी मात्रा में क्षतिग्रस्त हुआ है ।

क्या मौसम विभाग ने वर्षा के बारे में भविष्यवाणी की थी, और यदि हां तो क्या इसे खुले में पड़े हुये खाद्यान्नों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से उचित अधिकारियों तक

पहुंचाया गया था । मेरे विचार से इस विभाग के अनुमान अधिकांशतः गलत सिद्ध होते हैं । यदि मौसम विभाग ने ऐसी भविष्य वाणी नहीं की थी तो यह विभाग कार्यकुशल नहीं है ? सरकार द्वारा इस मामले पर ध्यान दिया जाना चाहिये ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं नियम 377 के अन्तर्गत सरकार का ध्यान दामोदर घाटी निगम में एक बिजली यूनिट के बन्द हो जाने के समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं जो 15 तारीख के "हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड" में प्रकाशित हुआ है ।

अप्रैल में दुर्गापुर इस्पात कारखाने के निकट की आबादी में कुछ गुन्डों ने बिमल चौधरी नामक व्यक्तिकी हत्या की थी । 6 मई को फिर दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कर्मचारी संघ से सम्बन्धित कुछ कर्मचारियों पर आक्रमण किया गया । श्री कृष्णचन्द्र हाल्डर ने श्री बिमल चौधरी की हत्या का मामला उठाया था परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला । हमलों की लगातार घटनाओं से कारखाने के उत्पादन पर तथा वहां की कानून और व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ।

मंत्री द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण

PERSONAL EXPLANATION BY MINISTER

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : श्री मधु लिमये ने 27 अप्रैल 1973 को विनियोग संख्या 2 विधेयक 1973 पर अपने भाषण के दौरान मुझ पर जो निराधार आरोप लगाते हुये जो कहा है कि :

> "This you should enquire of D. P. Yadav whether I was voted out by the people or I was defeated by stamping. Shri D. P. Yadav himself said before the Collector that he had won by stamping. Then I said that I was not going to file any petition, he would continue for five years. Let him contradict it. He said it before the Collector."

इसमें तनिक भी सत्यता नहीं है । यह निराधार है ।

नियम 377 के अन्तर्गत मामले

MATTERS UNDER RULE 377

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं नियम 377 के अन्तर्गत, सदन की विशेषतया रेलमंत्री का ध्यान खारगुडा में नमक का उत्पादन करने वाले औद्योगिक एककों की गम्भीर कठिनाइयों की ओर दिलाना चाहता हूं । यह मामला बहुत गम्भीर है । वैगनों की सप्लाई कम होने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है । जब तक सप्लाई की स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक स्थिति नहीं सुधरेगी ।

वर्षाऋतु आने वाली है, यदि वैगन सप्लाई में वृद्धि नहीं की गई तो नमक के भंडार बह जायेंगे और उद्योग तथा जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा ।

जनवरी से अप्रैल 1971 तक इस क्षेत्र के 5282 वैगन दी गयी । गत वर्ष 4113 वैगन दी गयी । इस वर्ष जनवरी से अप्रैल के बीच केवल 2144 वैगन दी गयी । तात्पर्य यह है कि यदि वैगन सप्लाई में वृद्धि न हुई तो नमक का भंडार बह जायेगा और लगभग 30 लाख रुपये की राशि की हानि होगी ।

[श्री पी० जे० मावलंकर]

यह क्षेत्र सूखापीड़ित क्षेत्र है । रेलमंत्री को इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि वैगन सप्लाई की कमी से लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा और सूखा पीड़ित क्षेत्र की कठिनाईयों में और वृद्धि होगी ।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Mr. Speaker, I wanted to bring to the notice of the House two matters under rule 377 but you have not allowed me to raise the issue pertaining to Assistant Station Masters and you have allowed me to raise both the issues. I want to submit that you would have allowed me to raise both the issues as you have allowed others in the past. It would have been better.

Mr. Speaker : I give you two minutes and it is upto you to raise one issue or two issues.

Shri Ramavtar Shastri : You allow me to raise the second issue as that is also important.

I want to point out that the news appearing in the newspapers in Bihar and here today and tomorrow are heartrending and sensational. I would like to quote some of the news published in the newspapers from which one can realise the seriousness of the situation. I want to invite the attention of the Government, through you, the horror prevailing in Patna city and other districts of Bihar. The news given by U.N.I. reads as follows :—

Sir, such a serious matter it is. There are many group moving in Patna and different districts of Bihar who indulge in kidnapping the children, kill them and give poisionous injections to kill them but the Government and the police have failed to apprehend them. Therefore, I want that this Government should pay attention to this matter. In the end. I want to tell you two more things.

I want to invite the attention of the Government to thismatter also. There is terror in the minds of the people. They are afraid of talking. If I go somewnere, they do not recognise me and if we enquire of the address of anybody even then people are beaten up. My family is also affected by this terror. My wife does not allow my daughter to go anywhere alone I stayed at Patna for five days.

Lastly, I would request the Railway Minister that 15 Assistant Station Masters of Western Division of Railways, who were on leave or did not attend their duty, have been suspended. He had promised that there will be no suspension. Therefore I request him to withdraw the suspension orders to restore normalacy.

श्री सैयद अहमद आगा (बारामूला) : मैं नियम 377 के अन्तर्गत विचार करने के लिये एक मामला उठाना चाहता । यह मामला लेडी हार्डिग मेडिकल कालिज तथा मौलाना आज़ाद मैडिकल कालिज के शिक्षकों के आन्दोलन के सम्बन्ध में है ।

यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है । इसका प्रभाव न केवल लेडी हार्डिग मेडिकल कालेज तथा मौलाना आज़ाद मेडिकल कालेज पर पड़ेगा अपितु सारे देश पर पड़ेगा । यह मेडिकल कालेजों में पढ़ाने वालों एवं छात्रों के हितों के विरुद्ध है । श्री उमा शंकर दीक्षित ने निर्णय लिया था कि बाहर के डॉक्टरों को प्रशिक्षण के लिये नहीं लिया जायेगा परन्तु इस निर्णय को उलटा जा रहा है । अतएव इसपर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिये ।

श्री बी० एल० रेड्डी (त्रिमाल गूंडा) : अकाल सूखे की स्थिति एवं पेय जल के अभाव ने गम्भीर स्थिति पैदा कर दी है । मुझे पता चला है कि तेलंगाना के नलगोंडा जिले तथा हैदराबाद क्षेत्र के वारंगल जिले में खाद्य की कमी के कारण गम्भीर अकाल की स्थिति बनी हुई है तथा वहां भखमरी से मौते हो रही हैं । अकाल और सूखे की स्थिति तीन

वर्ष से बनी हुई है । केन्द्र अन्न उपलब्ध करने तथा कूओं को गहरा करने का कार्य नहीं कर रहा है । मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वहां प्रत्येक गांव में एक अनाज की दुकान खोली जाये जहां अनाज 75 पैसे किलो बेचा जाये ।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रसन्नभाई मेहता । मैं समझता हूं यह राज्य का विषय नहीं है ।

श्री प्रसन्न भाई मेहता (भावनगर) : यह राज्य का मासला नहीं है । सदस्यों को विदित है कि लिमडी नगर सौराष्ट्र में बेगुनाह लोगों पर 27 अप्रैल, 1973 को गोलियां चलाई गई जिससे दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई । पता चला है कि राज्य सरकार ने इस आधार पर न्यायिक जांच से इन्कार कर दिया है, कि केन्द्र का इस मामले पर राज्य सरकार को निर्देश देने चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : यह विधि तथा न्याय का मामला है । सरकार इस बारे में क्या कर सकती है ।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : केन्द्र ने राज्य सरकारों को निदेश दिये हैं कि न्यायिकजांच न कराई जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि यह राज्य का मामला है ।

श्री पी० एम० मेहता : गोली से राजनीतिक प्रदर्शनकारियों की जाने गई है । अतएव जांच न कराया जाना लज्जा पूर्ण है ।

मंत्री महोदय को अवश्य बताना चाहिए कि क्या राज्य सरकार को कोई औपचारिक अथवा अनौपचारिक आदेश दिये गये हैं । यदि सरकार स्थिति को स्पष्ट नहीं करती तो जनता का इस बारे में सन्देह पैदा हो जायेगा ।

Shri Atal Bihari Bajpayee: I want to say one thing. I had gone to Lumbdi I have seen the site where firing took place. I have been told that Gujarat Government wanted to order judicial inquiry but Central Government have rejected the proposal and informed them that judicial inquiry should not be ordered in such cases.

Mr. Speaker: It does not become central subject mentioning the name of the centre.

Shri Atal Bihari Bajpayee : If they do not deny it then presumption is confirmed.

Shri B. S. Bhaura (Bhatenda) : It has been said to me and again that is being supplied to Punjab from here.

अध्यक्ष महोदय : कल का सारा दिन इस मामले पर लग गया था । आज आप इसे क्यों लेना चाहते हैं ।

Shri B. S. Bhaura: The Food Minister and the Railway Minister are present Why don't they send diesel to Panjab ?

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने प्रो० हासन के मामले को उठाया था जिसे मंत्री महोदय को भेजा गया था । उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया ।

अध्यक्ष महोदय : जब तक मुझे शिक्षा मंत्री से उत्तर नहीं मिलता मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री समर गुह : पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन के विकास के लिये मंत्री ने एक तार भेजा है कि वहां पर शीघ्र रेलवे लाइन बनायी जाये । यातायात के बारे में एक सर्वेक्षण किया गया है जोकि इसके पक्ष में रहा है । अतएव रेलवे मंत्री वहां रेलवे लाइन का निर्माण करायें ।

अध्यक्ष महोदय : यह मामले 'नियम 377' के अंतर्गत है ।

Shri Chandrika Prasad (Balia) : Kerosene Oil and Dalda are not available in Utter Pradesh and in our area. Kerosene oil is being sold at Rs. 2 per bottle. The mill owners tell the traders that they have to pay more if they want Vanaspati. Action should be taken against such millowners. This is a marriage season. Arrangements should be made to make the oil, Vanaspati, etc. available to the people. Cement is also not available in our area. Arrangements should be made to make it available. It is being sold in black market. Famine conditions are prevailing in our area. Uttar Pradesh is a big State and quota of these things should be supplied to that State according to population.

रेल अभि समय समिति के बारे में संकल्प

REGULATION RE: RAILWAY CONVENTION COMMITTEE

रेल मंत्री (श्री ललित नारायण मिश्र) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा संकल्प करती है कि लोकसभा द्वारा 7 मई, 1972 को स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसरण में रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय वर्तमान लाभांश की दर की तथा सामान्य वित्त की तुलना में रेलवे वित्त तथा अन्य संगत मामलों। की समीक्षा करने तथा इस संबंध में सिफारिश करने के लिए नियुक्त की जाने वाली संसदीय समिति में इस सभा के दो और सदस्य सम्मिलित किये जायें जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा संकल्प करती है कि लोकसभा द्वारा 7 मई, 1972 को स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसरण में रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय वर्तमान लाभांश की दर की तथा सामान्य वित्त की तुलना में रेलवे वित्त तथा अन्य संगत मामलों की समीक्षा करने तथा इस सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिए नियुक्त की जाने वाली संसदीय समिति में इस सभा के दो और सदस्य सम्मिलित किये जायें जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री ललित नारायण मिश्र : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय वर्तमान लाभांश की दर की तथा सामान्य वित्त की तुलना में रेलवे वित्त तथा अन्य संगत मामलों की समीक्षा करने तथा इस सम्बन्ध में सिफारिश करने के लिए नियुक्त की जाने वाली संसदीय समिति में राज्य सभा का एक और सदस्य सहयोजित करने के लिए सहमत हो जो सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा और इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय वर्तमान लाभांश की दर की तथा सामान्य वित्त की तुलना में रेलवे वित्त तथा अन्य संगत मामलों की समीक्षा करने तथा इस सम्बन्ध में सिफारिश करने के लिए नियुक्त

की जाने वाली संसदीय समिति में राज्य सभा का एक और सदस्य सहयोजित करने के लिए सहमत हो जो सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा और इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

चीनी जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. REPORT OF SUGER ENQUIRY COMMITTEE

कृषि मंत्री (श्री फकरुद्दीन अली अहमद) : मुझे सभा को यह बताते हुए प्रसन्नता है कि चीनी जांच समिति का प्रतिवेदन कल सायंकाल प्राप्त हो गया है और उसका अध्ययन किया जा रहा है।

मंत्रियों के कथित गुमराह करने वाले वक्तव्यों के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE. ALLEGED MISLEADING STATEMENTS BY MINISTERS

अध्यक्ष महोदय : अब हम श्री श्याम नन्द मिश्र के संकल्प को लेंगे।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा औद्योगिक विकास मंत्री श्री सी० सुब्रह्मण्यम, रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल और विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री श्री एच० आर० गोखले के आचरण पर, जिन्होंने समुचित रक्षा अधिकारियों द्वारा आपत्तियां किये जाने के बावजूद भारतीय रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 के उपबन्धों तथा उनके अधीन बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में 22 सितम्बर, 1972, 1 मार्च, 1973 तथा 7 मार्च, 1973 को सभा में दिये गये अपने वक्तव्यों में सभा को गुमराह किया है, खेद व्यक्त करती है।"

इस मामले में न केवल तीन मंत्रियों अपितु पूरी सरकार की इमानदारी का प्रश्न है। क्या आप विश्वास करेंगे कि आज भी हरियाणा में श्री बंसी लाल द्वारा रिकार्ड में परिवर्तन किये जा रहे हैं।

इन तीन मंत्रियों पर मेरे कुल सात आठ आरोप हैं।

श्री सी० सुब्राह्मण्यम तथा श्री विद्याचरण शुक्ल ने 22 दिसम्बर, को छोटी कार के मामले में हस्तक्षेप करते समय सभा को गुमराह किया। मेरे साथ हुए वाद-विवाद में भी इन दो मंत्रियों ने गमराह किया। अतएव इस बारे में पीड़ित पक्ष एक तो श्री श्यामनन्दन मिश्र है, दूसरे पूरा सदन तथा तीसरे पूरा देश है। इन वक्तव्यों का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की अवहेलना करके निजी हितों का संरक्षण करना था। प्रथमतः इन मंत्रियों ने इन्कार किया कि गुड़गांव में सुरक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में कानूनों, नियमों एवं विनियमों का उल्लंघन हुआ है। दूसरे उन्होंने इस बारे में इन्कार किया कि भूमि अधिग्रहण के बारे में रक्षा अधिकारियों की ओरसे कोई आपत्ति की गई थी।

यह दो मुख्य गलत वक्तव्य थे जिनके परिणाम स्वरूप कई गौण चालन वक्तव्य दिये गये। इस बारे में उनके वक्तव्य पूर्णतः भ्रामक थे क्योंकि ठीक एक महीना पूर्व 22 नवम्बर को अपने

[श्री श्याम नन्दन मिश्र]

पत्र में मैंने उन्हें इस बारे में लिखा था। मेरे उस पत्र का उत्तर मुझे 5 मई को प्राप्त हुआ है। यह उत्तर भी मांग पावती स्वीकार दी है।

यह सदस्य के विशेषाधिकार का मामला है कि वे मंत्रियों से जानकारी उपलब्ध करें। इस मामले में उत्तर न देने का विशेष कारण है। अपने पत्र में मैंने पूछा था रक्षा प्रतिष्ठानों के आस पास कितनी दूर तक गैर-सरकारी निर्माण नहीं किये जा सकते। मैंने अपने पत्र में एक सरकारी अधिसूचना का उल्लेख किया था जिसके अनुसार आयुध डिपोओं के 1000 गज के भीतर कोई गैर-सरकारी निर्माण नहीं हो सकते। 5 मई को जो उत्तर दिया गया उसका कारण भी यही है कि यह मामला इस सभा में लाया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में हरियाणा के मुख्य सचिव को 11 मार्च के लिखे गये कमांडिग अफसर के पत्र में बताया गया कि वायु सेना केन्द्र को पता चला है कि गुड़गांव डिपो के पास फैक्टरी निर्माण के लिये भूमि का अधिग्रहण किया गया है। कमांडिग अफसर के पत्र में बताया गया कि विस्फोटक डिपो के पास गैर-सरकारी निर्माणों से डिपो तथा हवाई अड्डे को खतरा है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बागरा) : क्या आप इस पत्र का उत्तरदायित्व लेते हैं?

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मैंने पहले ही इसका पूरा उत्तरदायित्व लिया है। कमांडिग अफसर ने भारत सरकार के दो पत्रों एक 1956 और दूसरे 1966 का भी उल्लेख किया है।

उक्त पत्र में बताया गया है कि यह भूमि गुड़गाव रनवे से 3500 गज और विस्फोटक डिपों से 3500 गज है। कमांडिग अफसर के पत्र में इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया। उन्होंने इससे रक्षा प्रतिष्ठानों को इतना खतरा समझा कि उन्होंने हरियाणा सरकार की अधिसूचना को रद्द करने के लिये लिखा। इस पत्र की प्रति हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को भी भेजी गई थी। उक्त पत्र में 1962 और 1969 की अधिसूचनाओं का उल्लेख किया गया है।

श्री बी० पी० मौर्य (हादुर): यदि आप उक्त पत्र के बारे में इतने निश्चित है तो पूरे पत्र को रिकार्ड में जाने दें।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : यदि सभा की ऐसी इच्छा है तो मैं उन्हें पढ़ देता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पत्र मुझे भेजा था। मैं समझता हूँ उन्हें इसे सभा पटल पर रखने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मैं इसे पढ़ देता हूँ। बाद में इसे सभा पटल पर रख दूंगा।

पत्र में कहा गया है कि उक्त निर्माण गुड़गांव रनवे के 3500 गज के भीतर है तथा गुड़गांव विस्फोटक डिपो के 3500 गज के भीतर है तथा रनवे के उड़ान भरने वाले क्षेत्र से 1500 गज है।

इस पत्र के चौथे अनुच्छेद में कहा गया है कि यदि यह भूमि किसी गैर-सरकारी एजेन्सी के उपयोग के लिये अधिग्रहीत की गई तो हम विस्फोटक डिपों तथा हवाई-पट्टी की सुरक्षा को खतरा बन जायेगा। पांचवे अनुच्छेद में कहा गया है कि विस्फोट डिपो के आस-पास भूमि के अधिग्रहण कर अर्थ भारतीय प्रतिरक्षा कार्य अधिनियम, 1903 में प्रावधित प्रतिबंधों का उल्लंघन होगा। और अन्तिम अर्थात छटे अनुच्छेद में मुख्यालय से कहा गया है कि यह इस अधिसूचना को रद्द कराने के लिये वायु-सेना मुख्यालय तथा हरियाणा सरकार से सम्पर्क करे। इस पत्र की प्रतिलिपियां, तीसरे अनुच्छेद में उल्लिखित रक्षा मंत्रालय के पत्र की प्रतिति सहित, वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली तथा हरियाणा राज्य के मुख्य सचिव को भेजी गई हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKAR *in the Chair*]

Shri B. P. Maurya (Hapur) : On a point of order, Sir Shri Mishra is not aware of the facts. He is referring to the notifications issued in 1962 and 1966 whereas this letter refers to the notification issued in 1956. The author of this letter is not aware of the contents of the notifications issued in 1962 and 1966.

Shri Atal Bihar Vajpayee (Gwalior) : There is no point of order in it. He wants to create disorder.

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : व्यवस्था के प्रश्न पर। माननीय सदस्य कह रहे थे कि उनके पास उस पत्र की प्रति है जिसमें कमांडिग आफिसर ने कहा है कि वे दो अधिसूचनाये जारी की गई थी ..... जिनका जीक्र उस पत्र में है, मेरा व्यवस्था का उत्तर यह है कि जो कुछ उन्होंने कहा है वह इस पत्र में नहीं है अतः उन्होंने तथ्यपूर्ण बात नहीं कही है। वह सभा को गुमराह कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सारा मामला सभा के सामने है। व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। सभा चाहे जिस तरह निर्णय करे।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि कमांडिग आफिसर के पत्र में यदी कानुन का उल्लंघन होता है तो इसका अर्थ 1903 के पत्रो अधिनियमों के अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं के उपबंधों का भी उल्लंघन है क्यों कि यह आधिनियम तभी कारगर होता है जबकि इसकी धारा 3 के अधीन अधिसुचनाएं जारी होती हैं। अतः 1903 के अधिनियम के जिक्र का अर्थ इन दोनों अधिसूचनाओं के अन्तर्गत लगाये गये प्रतिबंधों के और ध्यान दिलाना है।

अब आप स्वयं देखिये कि सभा को किस प्रकार धोखा दिया जा रहा है। 1 मार्च, 1973 को श्री शुक्ल ने, सभा को गुमराह करने के मेरे आरोप के उत्तर में, एक वक्तव्य द्वारा सभा को और आगे गूमराह किया तथा तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा। वर्ष 1962 के उद्घोषणा में, जिसमें गुड़गांव स्थित प्रतिरक्षा संस्थानों की रक्षा का सुनिश्चय करना वांछित था, उसमें "गोलाबारूद डिपो" का वर्णण था परन्तु बाद स्पष्टीकरण के रुप में मंत्री जी ने यहां सदस्यों को गुमराह करने के उद्देश्य उस शब्द को "सैनिक गोलाबारूद डिपो" के रुप मे लिया और यह समझ लिया हम लोग "गोलाबारूद डिपों" तथा "सैनिक गोलाबारूद डिपो" मे कोई अन्तर नहीं मानेंगे। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां एक "गोलाबारूद डिपो" पहले भी था और आज भी है। यदि सभाध्यक्ष चाहें तो एक समिति गठित करके और उसे वहां भेज कर इस सत्य का प्रमाण ले सकते हैं।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : On a point of order, Shri Mishra has thrown a challenge and we accept it, but let him also admit that land belonging to Maharani Patiala has also been acquired there and he is worried more about that..... (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था के प्रश्न संबंधी नियम का दुरुपयोग मत कीजिये। इसमे व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : उन्हें महारानी का जिक्र नहीं करना चाहिये जो कि इस सभा मे नहीं हैं। मैं कह रहा था कि सभाध्यक्ष एक समिति नियुक्त कर सकते हैं जो स्वयं जाकर यह सत्यापन कर ले कि वहां एक गोलाबारूद डिपो है।

[श्री शाम नन्दन मिश्र]

स्वयं श्री शुक्ल ने भी 1 मार्च, 1973 के अपने वक्तव्य में यह स्वीकार किया है कि वहां एक वायु सेना डिपो है परन्तु वह उसे 1962 की अधिसूचना से संबन्धित नहीं करते बल्कि उसे एक पृथक एकक मानते हैं। संभव है कि प्रशासनिक दृष्टि से वह कोई भिन्न एकक हो परन्तु वस्तुतः तो वह एक गोलाबारूद डिपो है। 1962 की घोषणा में उसे केवल गोलाबारूद डिपो कहा गया था। पहले वह क्षेत्र वायु सेना तथा स्थल सेना का संयुक्त क्षेत्र था परन्तु प्रतिरक्षा के अन्तर्गत तो सभी गोलाबारूद डिपो आते हैं। अतः अपनी कानूनी खानापूरी के लिये मंत्री महोदय को सभा को गुमराह नहीं करना चाहिये था। और विधि मंत्रालय द्वारा अब यह कहा जाता कि वह क्षेत्र तो सर्वथा स्वतंत्र क्षेत्र है और कोई भी वहां चाहे जो कुछ कर सकता है, बेडी ही विचित्र बात है। इस प्रकार तो सरकार देश के लिये खतरा पैदा कर रही है अतः उसे अपना त्यागपत्र दे देना चाहिये – (व्यवधान)

श्री शुक्ल तथा श्री गोखले ने 1962 की घोषणा को निष्कार्य होने के चार कारण दिये हैं; पहला यह कि सैनिक गोलाबारूद डिपो वहां से स्थानान्तरित हो गया है दूसरा–वायु सेना को जो क्षेत्र दिया गया है वह वहीं क्षेत्र नहीं है जहां जो कि गोलाबारूद डिपो के लिये दिया गया था तीसरा–उस भूमि का अधिग्रहण न करके उस पर से प्रतिबंध हटा लिये गये हैं, तथा चौथा–वर्ष 1969 में नई घोषणा जारी कर दी गई थी। और अब कानूनी बात यह बताई गई है कि 1969 की घोषणा के अवैध हो जाने से 1962 की घोषणा भी प्रभावी नहीं रही।

इस संबंध में मेरा निवेदन है कि गोलाबारूद के सैनिक भाग के भर जाने से जहां स्थित सम्पूर्ण गोलाबारूद डिपो नही हट जाता। यह डिपो वायु सेना तथा स्थल का संयुक्त क्षेत्र था। अतः सैनिक भाग हट जाने के बाद भी शेष गोलाबारूद डिपो तो वहां विद्यमान रहा ही। और 1969 की घोषणा के रद्द हो जाने के बाद 1962 की घोषणा के अनुसार वहां स्थित गोलाबारूद डिपो की सुरक्षा का दायित्व तो रहता ही है।

वायु सेना को दिये गये क्षेत्र का वस्तुतः ठीक वही क्षेत्र न होना कहना भी इस बात का प्रमाण कि वहां कुछ इसी प्रकार का एक मौजूद है। दूसरे दूसरी सभा में शासक दल एक सदस्य श्री डी० टी० पुरी ने भी यह स्वीकार किया है कि वहा 50 एकड़ भूमि ऐसी जो कि प्रतिबंधित क्षेत्र के अन्तर्गत आती है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस सभा की यह परम्परा है कि हम यहां दूसरे सदन की कार्यवाही का जिक्र नहीं करते है.....अन्यथा फिर वे लोग भी हमारी सभा की कार्यवाही का उल्लेख कर सकते हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : जहां तक उस भूमि एक भाग को छोड़ देने की बात है श्री शुक्ल तथा श्री गोखले ने यह नहीं स्पष्ट किया कि किस कानून के अधीन ऐसा किया गया क्योंकि 1903 के अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। धारा 38 में केवल प्रतिबंध हटाने की व्यवस्था है। कुछ भी हों मेरा कहना है कि इस भूमि के अधिग्रहण अथवा अनधिग्रहण का 1903 के अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिबंध लगाने से कोई संबंध नहीं है। किसी नागरिक के अधिकार में रहते हुए भी उस भूमि पर इस अधिनियम के अनुसार कुछ प्रतिबंध लगाये जा सकते हैं। अब स्थिति यह है उस भूमि का एक भाग अब भी अधिग्रही है और यह कहना गलत है कि वहां कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और श्री शुक्ल तथा श्री गोखले का यह कहना भी भ्रामक है कि वर्ष 1969 की अधिसूचना के अवैध घोषित होने से वर्ष 1962 के अधिसूचना भी स्वतः ही निष्कार्य हो जाती है। 1962 की अधिसूचना को रद्द करने के लिये कोई अन्य अधिसूचना जारी नहीं की गई है। 1903 के अधिनियम में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं हुआ था। यह विचार भी निर्मूल है कि वायु सेना के संस्थान के बन जाने तथा डिपो के सैनिक भाग के वहां से स्थानान्तरित हो जाना, नई स्थिति पैदा हो गई थी।

फिर श्री गोखले तथा श्री शुक्ल जी द्वारा 1969 की अधिसूचना में बताई गई कमियों संबंधी तर्क श्री जगजीवन राम, रक्षा मंत्री द्वारा श्री महाबीर त्यागी को 25 अप्रैल, 1973 को लिखे गये पत्र द्वारा दी असंगत सिद्ध हो जाते हैं। पत्र में कहा गया है कि 1969 की अधिसूचना की त्रुटियों के बारे में दिसम्बर, 1972 में ही मालूम पड़ा। मेरा निवेदन है कि इस से पूर्व तो विशेषकर प्रतिरक्षा अधिकारियों को उक्त अधिसूचना को सही मानना चाहिये था तथा उसमें उल्लिखित प्रतिबंधों का पालन किया जाना चाहिये था। कमांडिंग अफसर ने यह पत्र 11 मार्च, 1971 को लिखा था। अतः इस प्रकार उक्त तर्क निराधार सिद्ध होता है। इस अधिसूचना को, आवश्यक था, कि दिसंबर, 1972 तक वैध माना जाता, तो फिर क्यों तथा किन के द्वारा इस की उपेक्षा की गई? 11 मार्च, 1971 को कमांडिंग अफसर द्वारा की गई आपत्तियों की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी।

मारूति लिमिटेड के बारे में रक्षा उत्पादन मंत्री श्री शुक्ल ने अपने वक्तव्य में एक बड़ी ही रोचक बात कही और वह यह कि यह ध्यान देने योग्य बात है, कि यह सब कुछ तो उस समय हुआ जब कि मारूति लिमिटेड नाम के संस्थान की बात तो किसी के मस्तिष्क में दी गई थी। परन्तु मैं यहां एक पत्र सभा पटल पर रखता हूं जो कि मैं अध्यक्ष महोदय को भी दे चुका हूं जिस के लिए हो जाता है कि मारूति लिमिटेड की स्थापना के बारे में तो वर्ष 1968 में ही विचार पैदा हो गया था। यह पत्र प्रार्थना पत्र संख्या 854, वर्ष 1968 है और इस में पता है; "संजय गांधी, नई दिल्ली"। स्थान का नाम गुड़गांव, हरियाणा है, फिर भी मंत्री महोदय ने ऐसा गलत बयान दिया है।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : शुद्धि करने के उद्देश्य से उन्होंने पत्र का केवल अंतिम भाग पढ़ा है। इस पत्र में स्थान का नाम फरिदाबाद, तहसील बल्लभगढ़, जिला गुडगांव, हरियाणा राज्य लिखा है। स्थान में परिवर्तन के लिये वर्ष 1970 में कहा गया था तथा इसके लिये स्वीकृति 5-11-70 को दी गई थी। यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिये। जिला गुड़गांव के स्थान पर केवल 'गुड़गाव' शब्द पढ़कर माननीय सदस्य सदन को गुमराह कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने यह जानकारी यदि किसी सरकारी पत्र से की है तो वह उसे सभा पटल पर रखे।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं रख दूंगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं अपनी बात लायसेंस समिति के टिप्पण में से कही है जिसमें "गुड़गाव हरियाणा राज्य" लिखा है। अतः स्वयं मंत्री महोदय ही सभा को गुमराह कर रहे हैं।

स्थिति यह है कि श्री शुक्ल ने अपने वक्तव्य में स्थान आदि का वर्णन नहीं किया उन्होंने केवल इतना कहा था कि 11 जनवरी, 1969 तक तो मैसर्ज मारूति लिमिटेड के बारे में सोचा भी नही गया था। फिर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अथवा गुड़गांव के कलक्टर को भी 1969 की अधिसूचना का ज्ञान नहीं था। यह अत्यन्त भ्रामक और गुमराह करने वाला वक्तव्य है। मेरे पास इस बात के प्रमाण है कि यहां तक कि अनपढ़ ग्रामिणों ने भी संबंधित अधिसूचना का उल्लेख करके उस भूमि के अधिग्रहण के विरुद्ध अपनी आपत्तियां पेश की थीं। क्या यह विचित्र तर्क है, कि अनपढ़ ग्रामिणों को उस अधिसूचना की जानकारी है परन्तु हरियाणा सरकार को मालूम तक नहीं है। ग्रामीणों ने अपनी शिकायतों में 1962 तथा 1969 दोनों वर्षों की अधिसूचनाओं का उल्लेख किया है परन्तु श्री शुक्ल जी कहते है कि हरियाणा सरकार अथवा गुड़गांव के उपायुक्त को इस 1969 की अधिसूचना की जानकारी दी नहीं थी। फिर उक्त अधिसूचना को केन्द्रीय राजपत्र में भी प्रकाशित किया गया था जिसके बाद इस अधिसूचना के बारे में किसी व्यक्ति विशेष को पृथक से बताने की आवश्यकता भी नहीं होती और केन्द्र की इस अधिसूचना

[श्री श्यामनन्दन मिश्र]

को संबंधित राज्य सरकार को लागू करना होता है। परन्तु विचित्र बात तो यह कही गई है कि हरियाणा सरकार या गुड़गांव के उपायुक्त को इनकी जानकारी तक नहीं है। साथ ही केन्द्र सरकार यह भी कहती है कि आम जनता ने इस अधिसूचना के विरुद्ध आपत्तियां उठाई थी।

श्री शुक्ल के विरुद्ध मेरी अंतिम शिकायत यह है कि उन्होंने रक्षा मंत्रालय से 1956 के पत्र में उल्लिखित वायुसेना संस्थानों के आसपास अधिकृत अथवा अनधिकृत भूमि पर भवनों आदि के निर्माण पर नियंत्रण रखने सम्बन्धी कानूनों के बारे में सभा को गुमराह किया। उन्होंने कहा था कि प्रतिरक्षा मंत्रालय के पत्र में यह भी व्यवस्था थी कि यदि आवश्यक हो तो केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकार से विचार-विमर्श करके भी ऐसे मामले तय कर सकती है और इसी के अनुसार तथ्यों के आधार पर सरकार हरियाणा सरकार के साथ विचार-विमर्श द्वारा इस मामले की जांच कर रही है।

परन्तु राज्य सरकार से बातचीत तो उसी सूरत में की जाती है जबकि राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के अनुदशों का उल्लंघन किया है।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य ने बहुत समय ले लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इस का ध्यान है परन्तु मैं देश में यह भावना भी नहीं फैलने देना चाहता कि समय को लेकर सारी बात को सामने आने से रोका गया है। यह एक महत्वपूर्ण चर्चा है।

श्री नरेन्द्र कुमार सालवे (बेतुल) : यही सिद्धान्त दूसरे पक्ष पर भी लागू किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तो इस निष्पक्ष भाव से लागू करूंगा। परन्तु नियमानुसार श्री मिश्र जा को समय कुछ अधिक मिलेगा क्योंकि उन्होंने ही यह चर्चा आरंभ की है। दूसरी ओर शासक दल की ओर से भी बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं। हम ध्यान तो रखेंग कि कोई सदस्य वंचित न रह जाये तो भी जो सीमायें हैं उन्हें भी नज़र से रखा जाना है।

श्यामनन्दन मिश्र : श्रीमन् सरकार ने इस प्रकार अपने अपराध के पक्ष में ये नाष्क्य तक देकर अपनी प्रतिष्ठा कम की है। य तीन मंत्री महोदय यदि साफ साफ कह दे ते कि अपने नेता को खुश करने के उत्साह में उन से कुछ गलतियां हो गई हैं जो संभव है सभा कुछ नम्रता का व्यवहार उन के साथ करती परन्तु अपने आप एक को छिपाने के लिये गलत जानकारी देकर सभा गुमराह कर के इन्होंने अपने दोष को बढ़ा लिया है। अब तीनों मंत्रियों के पृथक पृथक वक्तव्य इनकी दुर्भावनाओं के परिचायक है और यह साफ दृष्टि गोचर हो जाता है इस सारे मामले के पीछे कोई अनुचित कार्य किया जा रहा है।

अब निष्कर्ष यह है कि प्रतिरक्षा संस्थानों संबंधी नियमों को किसी गैर सरकारी दल की खातिर तोड़ा गया है, दूसरे 1962 की अधिसूचना को अनचित रूप से निष्कर्ष घोषित किया गया है (जब कि नियमानुसार यह अब भी प्रभावी है) जिसका अर्थ है कि किसी प्राइवेट व्यक्ति के लाभ के लिये कानूनों की हत्या की गई है। अब यह स्पष्ट है कि यह अधिसूचना न तो वापस ली गई थी और नहीं रद्द की गई थी बल्कि एक बड़े आदमी को लाभ पहुंचाने के लिये उसके क्रियान्वयन को रोक दिया गया था, तीसरे सभी उद्देश्य को लेकर वर्ष 1969 की अधिसूचना भी रद्द की गई। सरकार ने एक विचित्र धारणा प्रदर्शित की है कि राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना एक सार्वजनिक सूचना नहीं है। चौथे इन दो अधिसूचनाओं को अवैध करने के पश्चात् सरकार ने देश के हित में प्रतिरक्षा संस्थानों की सुरक्षा के हित में कोई नई अधिसूचना जारी क्यों नहीं की। रक्षा मंत्री महोदय का कहना है कि 1969 की अधिसूचना में त्रुटियों का ज्ञान उन्हें दिसंबर, 1972 में हुआ। अब वर्ष 1972 के मध्य चल रहा है। अब तक भी कोई नई अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

साथ ही यह भी प्रश्न उठता है कि यदि ये दोनों अधिसूचनायें अवैध है तो वर्ष 1956 के पत्र तथा वर्ष 1966 के परिपत्र का क्या हुआ जिनमें भी प्रतिबंध लगने की बात थी ? उन्हें क्रियान्वित क्यों नहीं किया गया ? फिर सरकार ने 11 मार्च, 1971 को जारी किये गये कमांडिंग अफसर के पत्र को भी निष्प्रभावी सिद्ध कर दिया है । क्या सभा यह स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं कर सकती कि कमांडिंग अफसर से पत्र पर कार्यवाही क्यों नही की गई ? फिर 1965 में भी कमांडिंग अफसर ने इस पत्र द्वारा उस क्षेत्र में रहने वाले एक भूतपूर्व सिपाही से कहा था वह वहां पर कोई निर्माण न करे अन्यथा उसे गिरा दिया जायेगा, वह पत्र मेरे पास है । अब मुझे जानकारी मिली है कि उस कमांडिंग अफसर को अपना कार्य ईमान्दारी और कुशलता से करने पर दण्डित किया जा रहा है ।

यह कहा जा रहा है कि श्री ओ०पी० मेहरा का नाम अनियमितताओं पर कीचड़ उछालने के लिय लिया जा रहा है ।

श्री विक्रम महाजन : हम चाहते है कि इन शब्दों का कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाये...

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कुछ टिप्पणियां की है जिनको विरोध किया गया है ।

श्री विक्रम महाजन : नियम 380 में अध्यक्ष महोदय को निन्दा पूर्ण शब्दों आदि का कार्यवाही कार्यवारी वृत्तान्त से निकालने का अधिकार है ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होने जो कुछ वक्तव्य दिया है, कृपया बताएं कि उसमें से क्या आपत्तिजनक है ।

श्री विक्रम महाजन : इससे अधिक आपत्तिजनक क्या हो सकता है कि भारतीय वायु सेना के एक उच्च अधिकारी को इस उद्देश्य के लिये लाया गया है ।

श्री राम सहाय पांडे : सदस्यों द्वारा किसी विशेष अधिकारी के नाम का यहा उल्लेख करने का उद्देश्य देखा जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यहां पर कार्यवाही को नियमित रूप से चलाने के लिये बैठा हूं । मैं सदस्यों के उद्देश्य को नहीं जान सकता ।

Shri Madhu Limaye : On a point of order, Sir. I have listened to the debate very carefully. Shri Mishra has not said anything on which there should be any hue and cry. Mr. Speaker had told me in the morning not to use the word "gondai". But 10 persons stand at a time, what is this? I want your ruling in this matter. Has the Maruti affair assumed so much importance?

श्री नरेन्द्र कुमार सालवे (बैतुल) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यदि हम श्री मिश्र जी की तरह अपनी रक्षा सेवाओं का उल्लेख करेंगे तो यह अशोभनीय बात है ।

यह सदन स्वीकार करता है कि हमारी सेना ने देश का नाम ऊंचा किया है । अतएव हमें उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए ।

श्री सी० एम०, स्टीफन (मुवतुपुजा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले मैं एक विषय से निपट लूं ।

बात यह है कि उन्होंने अपने वक्तव्य में किसी विशेष अधिकारी के बारे म कुछ उल्लेख किया है । यदि इसे उस अधिकारी के विरुद्ध आरोप माना जाये तो यह उक्त नियम के अंतर्गत जा

[उपाध्यक्ष महोदय]

सकता है मेरे यदि बात यह है कि सरकार ने किसी अधिकारी को किसी उद्देश्य से नियुक्त किया है तो इसका उत्तर सरकार को देना है।

यह मामला नाजुक है इसे एक बार तय कर लेना चाहिये।

श्री विक्रम महाजन : इस प्रकार के निराधार आरोपों से वायुमंडल और भी दूषित हो जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को यह कहने का अधिकार है कि श्री श्याम नन्दन मिश्र का कथन किन्ही उद्देश्यों के कारण है।

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : श्री श्याम नन्दन मिश्र का यह आरोप कि सरकार कमांडिग अफसर को दण्ड दे रही है सर्वथा गलत है ...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह व्यवस्था के प्रश्न पर बोल रहे हैं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं केवल आरोपों का खण्डन कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कई बार व्यवस्था के ऐसे प्रश्न उठाये जाते है जो बाद में व्यवस्था के प्रश्न नहीं पाये जाते हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : सभा के समक्ष एक विशेष संकल्प है। प्रश्न केवल यही है कि क्या मंत्री महोदय का वक्तव्य सभा को गुमराह करने के लिये था। इसका निर्णय किये बिना अन्य विषय लेना युक्त नहीं है। श्री मिश्रा द्वारा लगाया गया आरोप सभा के समक्ष संकल्प से असंबद्ध है।

श्री एस० ए० शमीम : मैं सभा को बताना चाहता हूं ...

उपाध्यक्ष महोदय : यदि श्री स्टीफन ने पूरे संकल्प को पढ़ लेते तो अच्छा होता।

श्री ए० पी० शर्मा : व्यवस्था के प्रश्न पर नियम 352(v) के अधीन उल्लेख किया जा सकता है। (अंतर्बाधाएं)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें बात करने दें।

श्री ए० पी० शर्मा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि श्री मिश्र, सरकार के इरादे का उल्लेख कर सकते हैं परन्तु किसी विशेष अधिकारी का नामोल्लेख नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि श्री शर्मा ने नियम को ठीक से नहीं पढ़ा है।

संविधान में स्पष्टत : कहा गया है कि लोगों की आलोचना एक संकल्प के रूप में ही की जा सकती है।

डॉ० हेनरी ऑस्टिन : माननीय सदस्य ने एक सैनिक अधिकारी पर दोषारोपण किया है। नियम 353 के अनुसार इस प्रकार का दोषोरोपण नहीं किया जा सकता। अतएव उनके कथन को कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं लिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अपना निर्णय दे दिया है।

डॉ० हेनरी ऑस्टिन : निर्णय दोषारोपण के बारे में नहीं था। दोषारोपण बड़ा गम्भीर मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने केवल यही कहा था कि उक्त अधिकारी को सरकार ने किसी उद्देश्य से नियुक्त किया है। मैंने अपना निर्णय दे दिया है।

श्री एस० ए० शमीम : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। किसी अभियुक्त द्वारा इस अपराध करने से पूर्व जांच नहीं की जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह संगत नहीं है।

श्री श्याम नंदन मिश्र : यह मामला अत्यन्त गम्भीर है। इससे 'राज्य' का उपयोग 'सम्पदा' के रूप में किया गया है। इस मामले को भारत का वाटरगेट मामला कहा गया है जो कि ठीक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : वाटरगेट शब्दकोश के लिए एक नया शब्द है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : राष्ट्रपति निक्सन ने पूरे मामले की जांच का आश्वासन दिया है।

मेरा प्रधान मंत्री से निवेदन है कि इस मामले की जांच के लिये एक जांच समिति नियुक्त की जाये। गुड़गांव के रक्षा प्रतिष्ठानों के क्षेत्र से मारूति और अन्य गैर-सरकारी निर्माणों को हटाया जाये। उनके लिये युक्त यही होगा कि वह हमारी मांग का स्वीकार करें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"कि यह सभा औद्योगिक विकास मंत्री श्री सी० सुब्रह्मण्यम रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल और विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री श्री एच० आर० गोखले आचरण पर जिन्होंने समुचित रक्षा अधिकारियों द्वारा आपत्तियां किये जाने के बावजूद भारतीय रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 के उपबन्धों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उल्लंघन के संबंध में सभा में 22 दिसम्बर, 1972, 1 मार्च, 1973 तथा 7 मार्च, 1973 के अपने वक्तव्यों में सभा को गुमराह किया है, खेद व्यक्त करती है।"

इस पर दो संशोधन प्राप्त हुए हैं। परन्तु यह एक दिन पूर्व प्राप्त होने चाहिए थे। श्री मधु लिमये ने कहा है कि वह यहां नहीं थे —आज प्रातः ही लौटे हैं। परन्तु संसदीय कार्य के लिए यह कोई कारण नहीं है।

Shri Madhu Limaye : Kindly listen to me for a minute. How can you give your ruling without hearing. I am speaking on a point of order you have been empowered under the rules and similar amendments have been made in this House many times in the past. I can quote several examples if you so desire. You just read it out, what is their objections ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये यह सिद्ध करना चाहते हैं कि मझे स्वविवेक के प्रयोग करने का अधिकार है।

श्री० के० एस० चावडा : नियम 345 के अनुसार आप को स्वविवेक का अधिकार प्राप्त है।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 79 के अनुसार एक दिन की पूर्व सूचना अपेक्षित है।

Shri Madhu Limaye : You have not heard my point of order. First listen to it and then give your ruling. Mr. Deputy Speaker, you had said earlier that you would take sense of the House but now you are going to give your ruling. What is my amendment on which sense of the House is being taken ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सभा पीठ के कार्य में कुछ एकरूपता होनी चाहिए। पहले आपने कई बार ऐसे संशोधन स्वीकार कर चुके हैं। अतएव इसे भी स्वीकार करें।

Shri Madhu Limaye : Mr. Deputy Speaker, let me complete my point of order. There are different rules for Bills and Resolutions.

How the question of taking sense of the House arises? I wanted to move this amendment (*Interruptions*). Is it a procedure ? I am speaking on a point of order.

* *

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं लिया जायेगा।

Shri Madhu Limaye : They cannot intervene, I have a point of order.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं अपना निर्णय देता हूँ।

Shri Madhu Limaye : I have not concluded, yet.

श्री सी० एम० स्टीफन : उन्हें बोलने का अधिकार है।

श्री समर गुह : इस सभा का संचालन कौन कर रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या इस समय व्यवस्था का प्रश्न रखा जा सकता है। अभी मैंने अपना निर्णय नहीं दिया है। अतएव उन्हें संशोधन पर नही बोलना चाहिए।

Shri Madhu Limaye : You have not heard my point of order. You have changed your ruling twice. Please listen to my point of order.

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री ने सप्ताह की कार्य-सूची में इसकी सूचना दी थी यदि सदस्य ध्यान देते तो संशोधन समय पर भेज सकते थे।

Shri Madhu Limaye : It is a very simple matter. Mr. Speaker has allowed it not once but a number of times. They have nothing to do with it. It is for you to decide. A number of hon'ble Members have been permitted on many occasions. As I am mentioning the name of the Prime Minister, I am sure that you will allow me because you are impartial. You will maintain the dignity of the House and the Chair. Therefore, I have no doubt in my mind.

* * * *

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक है सभापीठ स्वविवेक से संशोधन स्वीकार सकती है। अतएव मैं इसे अस्वीकार करता हूँ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Deputy Speaker, I do not want to interrupt him. Therefore I rise on a point of order. What I have concluded from the speech made by Shri Shyamanandan Mishra is that he placed some confidential paper on the Table and Government have raised certain objections as to the partial genuineness of the paper. In these circumstances, there is a rule regarding placing the papers on the Table of the House and there is a previous ruling on this. I would suggest that an original copy of the paper should be placed on the Table for the information of the hon'ble Members for three or four days it should be kept in your custody. It has happened earlier also. Original copy should be kept and not the carbon copy. Once such a decision was taken. The

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

original copy should be available for three or four days and thereafter the same may be returned and then attested copy of the same should be available. Thereafter the point of Shri Shamanandan Mishra (*Interruptions*) I have always been extending my cooperation, you should also help me. Don't say that question of privilege motion does not arise.

Therefore, you should give a clear cut ruling. If you want I shall get you the precedent because they do not deny that there is no such paper but they say that there is some difference in two or three things. We should know whether they have tampered with it afterwards or not, you should keep the paper on the Table of the House under strict vigilance, let the hon'ble Member see that for three days—You decide the issue after due consideration.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर ध्यान दूंगा।

श्री नरेन्द्र कुमार सालवे (बेतुल) : यह भाषण पिछले सात वर्ष में लोक सभा में दिये गये भाषणों में से सबसे अधिक लम्बा है। इसे संक्षिप्त संगत बनाया जा सकता था।

मैं समझता हूँ कि वाद-विवादों का उद्देश्य राजनीतिक हित बन गया है।

विरोधी पक्ष मारूति लि० पर बहुत आन्दोलित लगता है। हम उनके सभी तथ्यों का उत्तर देंगे। श्री मिश्रा ने कई विशेषणों का उपयोग किया जोकि अनावश्यक थे।

श्री मिश्र ने वायु सेना के सर्वोच्च अधिकारी के विरुद्ध आरोप लगाये हैं। अच्छा होता यदि यह आरोप न लगाये जाते यह विवाद राजनीतिक दलों के मध्य है। इसमें सेना के अधिकारियों को नहीं लिया जाना चाहिए। श्री शुक्ल ने आरोप का पूर्णतः खण्डन किया है।

मारुति के मामले को पत्रों में भारत का वाटरगेट कहा गया है। किसी को हल्का प्रचार नहीं करना चाहिए। उनको पता नहीं कि वाटरगेट घोटाला क्या है अथवा उनको इस मामले के तथ्यों का पता नहीं है। जिस को वाटरगेट का ब्यौरा मालूम है वह इस मामले को उसके साथ नहीं मिलायेगा।

यह मामला बहुत साधारण है। जब 1966 में यह संगठन विशेष स्थापित किया गया तो 1962 का घोषणा वास्तव में लागू नहीं थी। इस के अतिरिक्त 1969 की घोषणा पर ही वास्तव में अमल नहीं किया जा रहा था। वास्तव में समूचा इण्डियन वर्कस आफ डिन्फेस एक्ट, 1903 इस परियोजना पर लागू नहीं होता। अतः गुमराह करने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। अधिनियम के उल्लंघन का कोई प्रश्न ही नहीं है क्योंकि अधिनियम उस समय लागू नहीं था। माननीय मंत्री श्री सुब्रह्मण्यम ने कहा था कि "यदि कोई मुख्य मंत्री यह चाहे कि कार परियोजना, जिसमें 4000 लोगों को रोजगार देने की क्षमता हो, उसके राज्य में लगे और यदि मुख्यमंत्री उसको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए रुचि दिखाता है, जिसपर आपत्ति नहीं की जानी चाहिए, तो भी इसके लिए उनको कोई अनियमितता नहीं करने चाहिए। यदि कोई अनियमितता हुई और यदि कोई आरोप लगाये गये तो मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि हम उसकी जांच के लिए तैयार हैं।" यह शब्द उस समय के मंत्री महोदय ने कहे थे। इस पर श्री श्यामनन्दन मिश्र ने कहा था कि प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों का क्या होगा। उनको वहां से किस प्रकार हटाया जायेगा। इस पर श्री विद्याचरण शुक्ल ने कहा था कि उनको कोई आपत्ति नहीं है। अतः मैं अब यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उक्त अधिनियम लागू नहीं था अतः इस परियोजना से अधिनियम का उल्लंघन नहीं होता। यह मेरी प्रथम बात है।

वहां पर 1966 में गोलाबारूद का एक डिपो था। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता है कि गोलाबारूद डिपो तथा वायुसेना स्टोरेज पार्क दो पृथक परियोजनाएं हैं। धारा 1 में कहा गया है कि प्रतिबन्धित क्षेत्र की सीमा 2000 गज पर नियत की जानी चाहिए गोलाबारूद डिपो

[श्री नरेन्द्र कुमार सालवे]

1966 में खत्म हो गया था और वायुसेना स्टोरेज पार्क 1966 में ही बना था। सम्बन्धित अधिनियम की धारा 3(1) के अन्तर्गत ये दोनों अलग अलग परियोजनाएं हैं। अतः देखना यह है कि धारा 3(1) के अन्तर्गत उक्त निर्माण कार्य के सम्बन्ध में प्रतिबन्धित क्षेत्र की घोषणा ठीक है अथवा नहीं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय): आप यह कहना चाहते है कि जहां तक 1962 की घोषणा का सम्बन्ध है। वायुसेना प्रतिष्ठान असुरक्षित थे ?

श्री नरेन्द्र कुमार सालवे : प्रतिबन्धित क्षेत्र एक परियोजना विशेष के लिए बनाया गया था। वह परियोजना और ए० एस० पी० दो अलग परियोजनाएं है। अतः जो चीज एक के बारे में है वह हो सकता है कि दूसरे के बारे में न हो। यह स्पष्ट है कि 1962 की घोषणा में प्रतिबन्धित क्षेत्र अहाते की बाहरी सीमा से आरम्भ होता है। यह क्षेत्र बनाने का अधिकार किस को है यह बात धारा 3(1) में दी गई है। यदि मेरे माननीय मिश्र इस धारा को पढ़े तो उनके मन में कोई शंका नहीं रह जायेंगी। क्या श्री मिश्र यह कहना चाहते थे कि 2000 गज की सीमा ए० एस० पी० तथा गोलाबारूद डिपों दोनों के लिए है। यदि उनकी धारणा यह है तो फिर वह गलती पर हैं। उनका कहना है कि यह सीमा 3500 गज है। परन्तु यह सीमा 2000 गज से अधिक नहीं है।

श्री मिश्रा जी की दूसरी बात यह थी कि यदि एक बार कोई अधिसूचना गजट में प्रकाशित हो जाती है तो उसे सार्वजनिक नोटिस मान लिया जाता है। यह अपनी अपनी राय की बात है।

उप-धारा(2) में उन शर्तों का उल्लेख किया गया है जिसको किसी भी वैध घोषणा से पूर्व पूरा किया जाना आवश्यक है। पहली आवश्यकता यह है कि घोषणा को गजट में प्रकाशित किया जाये और दूसरी आवश्यकता यह है कि सार्वजनिक नोटिस दिया जाये। श्री मिश्र का कहना यह है कि यदि एक बार घोषणा को गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है तो वह सार्वजनिक नोटिस बन जाता है कानून रूप से यह स्थिति नहीं है।

जहां तक 54 ए०एस०पी० का सम्बन्ध है इंडियन डिफेन्स आफ वर्कस एक्ट इस पर लागू नहीं होता। कानून में यह स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। श्री विद्याचरण शुक्ल ने यह कहा था कि उन प्रतिष्ठानों को इस परियोजना की स्थापना पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु यदि कानून ही उसपर लागू नहीं होता तो आपत्ति उठाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। माननीय सदस्य ने एक पत्र का उल्लेख किया है और कहा है कि 'वह कमांडिंग अफिसर है। परन्तु मुझे पता लगा है कि वह व्यक्ति कमांडिंग आफिसर नहीं है। इस का उत्तर भी श्री शुक्ल देंगे। मैंने उस पत्र को नहीं देखा है। माननीय सदस्य ने 1956 के एक पत्र का भी उल्लेख किया था। मुझे पता लगा है कि 1956 में केन्द्रीय सरकार इस समूचे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एक व्यापक कानून पर विचार कर रही थी। इस बारे में राज्य सरकारों को भी लिखा गया था, परन्तु यह कहा गया था कि जबतक यह कानून नहीं बनता, राज्य सरकारें रक्षा परियोजनाओं तथा अन्य परियोजना के बारे में उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर कर सकती हैं।परन्तु यह कानून जिसे सरकार 1956 में बनाना चाहती थीं, कभी नहीं बना है, यदि मैंने जो कहा वह ठीक है तो माननीय सदस्य को क्षमायाचना करनी चाहिए। अतः मेरा निवेदन है कि प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाये।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री को उत्तर देने के लिए किस समय बुलाया जाय?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : पांच बजे।

Mr. Chairman : It means we have still about two hours for discussion. I would like to take the sense of the House.

श्री के० रघुरामैया : मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय को 5 बजे बुलाया जाये।

सभापति महोदय: अध्यक्ष महोदय द्वारा 5 घंटे का समय नियत किया गया था, मंत्री महोदय को साढ़े पांच बजे बुलाया जायेगा। इससे चर्चा के लिए आधा घण्टा और मिलेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : आधे घण्टे की चर्चा को अगले पत्र तक स्थगित करने के बारे में क्या निर्णय किया गया है।

सभापति महोदय : मैं इस पर विनिर्णय नहीं दे सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस विषय पर चर्चा करते समय हमें देश की सुरक्षा और उसके लिए लगाये गये उपकरणों आदि की सुरक्षा के प्रश्न की जांच करनी है। यदि इस को अनदेखा किया जाता है तो यह एक गलत बात होगी। उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को वहां पर एक कुआं खोदने की भी अनुमति नहीं दी जाती है। उस क्षेत्र में एक व्यक्ति को चारदिवारी बनाने की अनुमति भी नहीं दी गई थी, 15-12-1962 की अधिसूचना को कभी भी रद्द नहीं किया गया है। यह अभी तक वैध हो।

भूमि देने के औचित्य का मामला एक और मामला हैं। प्रधान मंत्री को इस सभा में स्वीकृति लेनी चाहिए थी। इस मामले की जांच कराई जानी आवश्यक है। जैसा मैंने पहले कहा, 1962 का आदेश अभी भी वैध है। मैंने श्री जगजीवनराम को एक पत्र लिखा था, उसके उत्तर में उन्होंने कहां है कि रक्षा मंत्रालयने हरियाणा सरकार को लिखा था जिसने उत्तर में कुछ सुझाव दिये हैं। इन पर मंत्रालय में विचार किया जा रहा है और हरियाणा सरकार के परामर्श से इन पर निर्णय लिया जायेगा। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि रक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जायेगा। यह सब कुछ श्री जगजीवनराम ने मेरे पत्र के उत्तर में कहा है। मैं चाहता हूँ कि रक्षा मंत्री सभा को बतायें कि इस बीच क्या निर्णय लिए गए हैं। यह कहा गया है कि सेना एम्यूनिशन डिपो को मार्च अप्रैल 1956 में वहां से हटा लिया गया था। इस स्थान को बाद में वायु सेना ने लिया था। कुछ क्षेत्र को मुक्त कर दिया गया था। अभी यह क्षेत्र वायु सेना की एक यूनिट ए० एस० पी० के पास है और इसके सम्बन्ध में 11 जनवरी 1969 को अधिसूचना जारी की गई थी। परामर्शदात्री समिति में इस विषयपर हम लोग चर्चा करना चाहते थे। वायुसेना के उक्त यूनिट ने हवाई पट्टी के 3500 गज के अन्दर शेड, कारखाने आदि बनाये जाने पर आपत्ति की थी। इण्डियन एक्सप्रेस में यह प्रकाशित हुआ है कि प्रधान मंत्री वे मारुती मामले की सार्वजनिक जांच कराने की पेशकश की है। मेरा सुझाव है कि उनको ऐसा करना चाहिए। उससे सारी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। यदि इस मामले की जांच नहीं होती तो फिर इस देश में किसी मामले पर भी ध्यान नही दिया जायेगा। मैं इस पर सरकार पर आरोप लगाता हूँ कि उसने एक व्यक्ति विशेष का साथ पहुंचाने के लिए अपनी शक्ति का अनुचित प्रयोग किया है।

सभापति महोदय : आप का समय खत्म हो गया है। फिर भी आप तीन अथवा चार मिनट और बोल सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने एक प्रश्न में पूछा था कि मारुति लिमिटेड को कितना इस्पात आबंटित किया गया है। इस पर मंत्री महोदय ने कहा कि जानकारी एकत्रित की जा रही है और बाद में सभापटल पर रख दी जायेगी। यह प्रश्न 8 मार्च 1973 को पुनः पूछा गया था परन्तु उत्तर वही दिया गया जो पहले प्रश्न के उत्तर में दिया गया था। मैं यह जानना चाहता था कि राष्ट्रीयकृत बैंकोंने मारुति लिमिटेड को कितना ऋण दिया है तो श्री चव्हाण ने कहा कि बैंक सम्बन्धी मामलो को यहां पर नहीं बताया जा सकता। क्या यह सच है कि यह युवक अब मारूती लिमिटेड से निकला गया है और उसने बहुत अधिक धन राशि ले ली है और अब वह

[श्री जोतिर्मय बसु]

केवल परामर्शदाता के रूप में ही वहां पर है? यह कारखाने लगाने के लिए लगभग 1500 व्यक्तियों को बेकार किया गया है। श्री सुब्रह्मण्यम लोगों के न्यायालय में जाने की बात करते हैं। परन्तु आज लोगों को न्यायालय में न्याय नहीं मिल रहा है। क्या कोई जज सरकार अथवा प्रधान मंत्री के लड़के के विरूद्ध निर्णय देगा? सरकार तो सर्वोच्च न्यायालय के जजों में भी उचित व्यवहार नहीं कर रही है। इस एक व्यक्ति के लिए गरीब किसानों से लाखों रुपये की भूमि छीन ली गई है। 60,000 एकड़ भूमि का मूल्य केवल 9000 रुपये ही लया गया है। भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत 15 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। आपने नोटिस की प्राप्ति के पश्चात गरीब किसानों को धोखा दिया है। क्या इस दावे को सरकार के विभिन्न विभागों के पास टिप्पणियों के लिए भेजा गया था अथवा नहीं? यदि भेजा गया था तो कब? मैं जानता हूँ ऐसा कभी नहीं किया गया था। यह नोटिस 24 जून 1973 का है जोकि उस भूमि के बारे में है जिसमें रक्षा के हित अन्तर्गस्त है।

सभापति महोदयः आप केवल विचारधीन विषय पर ही बोले।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : 24 जून, 1971 को उस भूमि के बारे में नोटिस टाइप किये गये अथवा हाथ से लिखे गये थे। फिर वे लगभग 10 मील की दूरी पर 300 व्यक्तियों को जारी किये गये थे। सरकार ने उनके 14वें दिन अर्थात 10 जूलाई तक लौटाये जाने की व्यवस्था कर दी थी परन्तु सुनवाई करने के बजाये 15 वें दिन उसके बारे में निर्णय दे दिया गया। किसानों ने अधिक मुआवजा पाने के लिये अपीलें दायर की। उन्होंने रक्षा-निषिद्ध आदेषों का उल्लेख किया कि सरकार भूमि अर्जित नहीं कर सकती। उनकी अपील दायर किये दो साल हो गये हैं। कारखाना बन चुका है, कार भी प्रदर्शित की जा चुकी है परन्तु दावों के बारे में अभी तक मामले भी तैयार नहीं किये गये हैं। अतः मैं श्रीमती गांधी और सरकार से अपील करता हूं कि वह इस मामले की संसदीय जांच करवायें अन्यथा हम उनकी निन्दा करते हैं और मांग करते हैं कि उन्हें सरकार से अलग हो जाना चाहिये।

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : श्री ज्योतिर्मय बसु ने इस्पात और बैंक ऋणों का उल्लेख किया है। मोटर कार बनाने के लिये इस्पात की भी आवश्यकता है और ऋण की भी। माननीय सदस्य को पता होना चाहिये कि इस देश में प्रत्येक कारखाना बैंक ऋण की सहायता से चलता है और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। मुख्य बात यह है कि अधिसूचना जारी की गई थी या नहीं। श्री शुक्ल ने अपने वक्तव्य में इस बात का विषेष रूप से उल्लेख किया है कि किसी विधान अथवा अधिसूचना का उल्लंघन नहीं किया गया है। यह अधिसूचना विशेष थी और इसका प्रयोजन वहां पर वर्ष 1962 में आर्मी एम्यनीशन डीपो बनाना था। वर्ष 1965-66 में उस डीपो को हटा लिया गया था। अतः उपरोक्त अधिसूचना का महत्व अब समाप्त हो गया है। अब प्रश्न यह है कि जब वर्ष 1962 की अधिसूचना का प्रयोजन समाप्त हो गया तो वर्ष 1969 की अधिसूचना का क्या महत्व है? जैसाकि श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे ने बताया है वर्ष 1969 की अधिसूचना अवैध है क्योंकि वह संवैधानिक उपबन्धों के अनुरूप नहीं है। वस्तुतः वर्ष 1956 में यह विचार था कि एक नया विधान बनाया जायेगा जिससे रक्षा प्रतिष्ठानों के आसपास गैर-सरकारी लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार की इमारतें बनाये जाने पर रोक लगाई जा सकेगी। परन्तु वास्तव में इस प्रकार का कोई विधान नहीं बनाया जा सका। जिस कमांडर के वर्ष 1971 के पत्र का उल्लेख किया जा रहा है, उसको इन तथ्यों की कोई जानकारी नहीं है। विरोधी दल कमांडर की अनभिज्ञता का लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहे है। अतः उन को अनभिज्ञता के आधार पर विशेषाधिकार का मामला नहीं उठाया जा सकता। यह प्रस्ताव निरर्थक है। इस को राजनीतिक उद्देश्य से प्रस्तुत

किया गया है और इसे रद्द कर देना चाहिये। विरोधी दल इस मामले में किसी न किसी प्रकार से प्रधान मंत्री का नाम घसीटना चाहते है। अपना प्रचार करनें का यह सरल तरीका है। वे हम लोगों को बदनाम करना चाहते है। मुझे आशा है कि यह प्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I have heard the whole discussion very carefully. I want to thank Shri Mishra for successfully presenting his case in an authentic and effective manner. What my congress friends have stated in reply to the facts and arguments presented by him is only legal rangling. It may be that those who could not have got an opportunity to speak in the Court were trying to show their legal efficiency here.

The matter should not be looked from narrow mindedness. I want to know whether this fact could be denied there was an ammunition depot there before the permission to Maruti Ltd., was given to establish a factory at that site. Can this also be denied that there was a ban to build any building near that ammunition depot. Put in this case that ban was not taken into consideration because a factory by Maruti Ltd., was given to establish there. It is needless to mention the same of its owner. Those restrictions were not effective as a result of it. We have discussed at length that there were some defects in the Notification issued in 1969. I want to know as to who is responsible for those defects? The Government officers are responsible for it. Can this fact be neglected due to the technical failure of the Government Officers that no factory can be established at a place where there is an ammunition depot. The matter cannot be corrected by taking out some technical defects of any officer.

It had to see whether that notification was correct or not. Whether its publication in the Gazette was sufficient or not.

Shri N. K. P. Salve : The question is whether the Minister has misled.

Shri Atal Bihari Vajpayee : The Hon. Minister has stated that it was not objected from the security point of view. When the letter of the Commander was read out it was stated that Commander was some-what under misapprehension. The question is whether the Commander objected it or not. It was stated in the letter that the Commander had objected. The Government could not deny the authenticity of the letter. It is another matter whether that letter was correct or not or whether the apprehensions of the Commander were correct or not? The existence of the letter can be denied. The same points were raised earlier as to whether the establishing of the factory there was objected from the security point of view or not? The Hon. Minister has said that it was never objected. I want to know whether he was aware that the Commander had written a letter and therein he had not made any objection to it?

Shri A. K. M. Ishaque (Basirhat) : The letter must be an authorised letter.

Shri Atal Bihari Vajapayee : Authorised by whom. It is strange to say that the Commander-in-charge had written an unauthorised letter. The hon. Minister could have expressed regret for not knowing about the letter.

Mr. Chairman : Only if he yields...is not yielding.

Shri Atal Bihari Vajpayee : He could have come out boldly before the House and could have told the House that when he denied about the letter he did not know whether such a letter hand been written to him. He has not only misled the House but misguided Shri Subramaniam also. Shri Subramaniam told that he was giving the information as received from the Minister of Defence Production. But he told that being Cabinet Minister he was saying that with more responsibility. It has not been contradicted so far not it could be contradicted. The Hon. Minister could not deny the

[Shri Atal Bihari Vajpayee]

authenticity of the letter. Therefore legal points are being made to ascertain whether that notification was valid or not. These matter will be settled in the court. The Parliament has to see the question of justification. I want to know whether the Government can deny the fact that a depot it still there at the place where a defence installation has been established and for which a notification had been issued. There should not be any building near about that depot. I want to know why that rule has not been followed. Nobody would believe the plea that those rules ceased to apply due to mistake committed by some Government Officer.

I want a referendum on the Maruti issue. This issue has lowered the prestige of the Prime Minister Now she has to defend her by saying in public meetings that she has not done any favour by issuing licence to her son. I do not like that the Prime Minister may issue any statement in her defence. She says that her son is industrious and why should he not make progress. There are so many industrious sons in in the country but they have not the previlege of being the son of the Prime Minister and so they cannot establish a factory. He can establish a Car manufacturing factory because he is the son of the Prime Minister. The question is of justification. The question is that of propriety of the administration and maintaining the standard of conduct. I want to know whether some persons working in Maruti have been trained in Hindustan aeronautics Limited?

Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla) : It is completely wrong.

Shri Atal Bihari Vajpayee : In case any Parliamentary Committee is formed in this connections. I am prepared to give proofs.

Minister of Railways (Shri L. N. Misra) : This is contradiction issue.

Shri Atal Bihari Vajpayee : You have contradicted this also. Therefore we want that a Parliamentary Committee should be constituted in this matter. It can go into the facts and can bring out the truth.

Shri M. Ramgopal Reddy (Nizamabad) : If an allegation is made against a Minister by a Member, the matter closes after the Minister replies to the allegations.

Shri Atal Bihari Vajpayee : It does not finish The Watergate issue has been compared to that of Maruti issue. In the Watergate issue at least Mr. Nixon has admitted his mistake but in this Maruti affairs no body is prepared to admit his mistake. There is no tradition among our Congress men to accept their mistakes. Sometime back Shri Subramaniam had said : "I do agree that if, because he is the Prime Minister's son anything untowards has happened, if anything undesirable has happened, it should be looked into. Again, I want to give you this assurance that if anything is brought to our notice, it will be inquired into an whoever it might be friend or foe, if irregularities had been committed, either officially or unofficially, proper action will be taken. That assurance I want to give to the, Hon. House".

Some Hon. Members : How fair it is.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Merely giving assurance is not enough. They have not been implemented. I want to know what is the objection in appointing a Parliamentary Committee if the Government thinks that there is no bungling in the matter. It is a case of bungling, misusing of power, corruption and of nepotism right from the issuing of letter of intent to the Maruti till the selling of its agencies. The car has not yet been manufactured but the agencies are being sold and crores of rupees have been collected in the process. All this has been done in the name of the Prime Minister.

Shri N. K. P. Salve : Sir, I rise on a point of order. Shri Vajpayee is the leader of a Party. We expect from him ...

Shri Atal Bihari Vajpayee : What is your point of order.

Shri N. K. P. Salve : My point of order is this that under rule 356 they should confine themselves to the subject matter of the motion. This has no concern with the points of justification or corruption. Kindly ask them not to talk irrelevant. If they have nothing more to say, they should finish. I want your ruling. Whether Maruti affairs are relevant to this motion ?

सभापति महोदय : सामान्यतः श्री अटल बिहारी वाजपेयी विषयान्तर नहीं बोलते परन्तु यह एक नाजुक मामला है और इसलिये छोटी मोटी बातों की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जाना चाहिये ।

श्री के०लकप्पा (तुमकुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य बार बार उन्हीं तर्कों को दोहरा रहे हैं जो अन्य सदस्यों ने पेश किये हैं। अतः ऐसी सभी बातों को सभा के कार्यवाही वृत्तांत से निकाल देना चाहिये ।

सभापति महोदय : पीठासीन अधिकारी इस बात का ध्यान रखेंगे ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I do not understand why our congress friend become agitated when the Maruti issue is brought here. Shri Mahajan was just stating that the opposition parties have made the whole issue political. The Chairman did not stop him at that time and neither our congress friends made any objections to the remarks made by him. If the Government wants to remove the doubts from the minds of the people regarding the Maruti affair, it should appoint a Parliamentary Committee to look into the facts. In case the Government refuses to constitute a Parliamentary Committee in this matter, it accepts that there is something black at the bottom and it wants to hide the facts.

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : मैं अपनी अन्तरआत्मा से कह सकता हूं कि मैं ने तथ्य प्रस्तुत करते हुए जाने या अनजाने में सभा को कोई गुमराह नहीं किया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि यदि वर्ष 1962 की अधिसूचना वैध होती तो हमें वर्ष 1969 में और अधिसूचना जारी करने की क्या आवश्यकता थीं ? हमने इस बात पर भी विचार करना है कि वर्ष 1969 में की गई कार्यवाही वैध है या नहीं है। यह बताया गया है कि उसमें कुछ त्रुटि रह गई है। हमारा कहना यह है कि कानून के किसी उपबन्ध का उल्लंघन नहीं किया गया है। क्या यह सभा को गुमराह करना है? माननीय सदस्य के विचार में हमारी व्याख्या गलत हो सकती है। यह एक अलग बात है। परन्तु यदि हम तथ्यों की पूरी जांच करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह प्रभावकारी नहीं है तो इसमें सभा को गुमराह करने की क्या बात है ? माननीय सदस्य का मत भिन्न हो सकता है ।

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए
SHRI K. N. TIWARI *in the Chair*]

Shri B. P. Maurya (Hapur) : I had been listening to the speech of Shri Atal Bihari Vajpayee very carefully. It contained nothing regarding knowledge facts and law. It was full of politics. Therefore, I hope Shri Vajpayee and his colleagues will not stop me in case I also talk of politics.

I want to submit that at the time when the freedom struggle was going on, some forces were opposed to it. They were also opposed to that democratic feeling after the independence. They were also opposing at the time too when the Five Year Plan for the development, nationalisation and going towards

[Shri B. P. Maurya]

the path of Socialism were prepared. Those forces have again come to fulfil their objects. For that purpose they have taken the assistance of the letter of an army Commander whose self interest was hidden in it. Perhaps most of the Hon. Members are not aware of the fact that the writer of the letter, on the basis of which the matter has been raised by Shri Mishra, was that military officer whose land was acquired (*Interruptions*). The question of acquiring the land was raised at the time when Maruti was not even born and when Haryana State was not even formed. That military officer has misued his position. By this letter he has hatched a conspiracy. When this land was acquired the land of that military officer was also acquired.

Those who have raised this question are the same people who wanted to maintain the privy purses, who had opposed the Bank nationalisation and who, with the help of reactionary forces, wanted to maintain *status quo* here. When these people raised the slogan of 'Indira Hatao', the people trounced them and expressed their confidence in Shrimati Indira Gandhi.

As a result of that Shrimati Indira Gandhi emerged powerful on the political horizon of India, and Shri Vajpayee and his colleagues became unstable. Today, those very people want to tarnish that image and to achieve that end, are hatcing the political conspiracy of this type and are hurling various types of allegations and accuses on Shrimati Indira Gandhi to grind their political axes.

This letter contains details about the notification of 1956 as my other friends stated. This officer either did not know about the notification of 1962 or 1969 or he deliberately concealed those facts. If we look at the 1956 circular, that covers the nearby village also. Within a radius of 3500 yards no construction can take place. There are two aspects of that namely, the use of land and the construction on land. On the basis of circular of 1956 the farmer could make use of the land but he could not have any construction on the land. That establishes that use of land was already there. Inspite of that Shri Jyotirmoy Bosu alleged that even a well was not allowed to be constructed. The fact is that hundreds of bunglows have been built there unauthorisedly. Therefore, either the reference to circular of 1956 is tendentious or he was ignorant of it. The hon. members are very much agitated over the depot on account of which notification of 1962 was issued and which was revoked in 1966, with its revocation in 1966, all those restrictions and obstacles ended which were created in 1962. Although the 1969 Gazette carried this information, there was no notification on that. If Shri Mishra makes a distinction between these two, many things will become clear.

I do not feel bothered about Shri Vajpayee since apparently he has no son or daughter. But there are many hon. members in the House who have sons and daughters. I am of the opinion that no boy or girl should get the benefit of his father being the Prime Minister, Minister or an M. P. But side by side the members of this House, the people of the country, the intelligentia, and the workers shall also have to believe in fact that no young man will get the punishment because his mother happens to be the Prime Minister. I request that one should not be punished because one's father is a Minister. The Defence Minister will tell you how the words of the letter have been moulded.

It appears to me a forged letter. The Defence Minister will throw light on it. When the people are defeated in the field of democracy they try to adopt these tactics. There is no use of doing so. There was no question of raising a point of order or raising a privilege motion. No Minister had committed any breach of privilege. It is only a political stunt.

Shri Bhogendra Jha ((Jainagar) : Mr. Chairman, Sir, it is true that the politics has been brought in this matter. There could not be two opinions in this regard. It is also fact that the owners of Ambassador, Fiat and Standard

cars dit not like that a factory for production of Small car might be established. The efforts to set up a factory in the public sector proved unsuccessful. Shri Subramaniam and Shri F. A. Ahmed assured that a factory would be established. Several foreign companies were contacted in this respect. But these Indian monopolists of the three cars proved to be more powerful than the Government and no car factory could be set up in the public sector. It did not pained me so much. Our party again and again asked to give encouragement to public transport buses because in case the factory for manufacturing Car is not established, people may travel in those buses comfortably.

It is a fact that this Maruti issue has been brought on behalf of the old monopolists of Cars. The are propagating with full force. When the wholesale grain trade and Coal trade was gaken over, some persons having self interest wanted to draw the attention of the public to other side so that the people could not fight unitedly for their prosperity. The present objection has been done on that basis. Shri Maurya has just stated that every young man has a right to set up a factory according to his capacity whether he may be a son of the Prime Minister or somebody else. He has the full right of setting up a factory. It is regretted that a young man, though he may not be the son of the Prime Minister, should be the tools in the hand of the capitalists. I want to know whether it is a fact that Shri Sanjaya Gandhi has the share of only one thousand rupees in a factory in which there is an investment of 7 crores of rupees.

Shri Piloo Modi : Where from he has brought this money ?

Shri Bhogendra Jha : These capitalists are the shareholders in the investment of seven crores. Are these not the same persons who oppose the politics of the Government of India and the Prime Minister openly ? There are people from drunkard to tax evaders. Is it not unfortunate that they are trying to achieve their ends while making Sanjaya Gandhi as their tool ? If the whole list is read there are 120 share-holders and out of them there are 24 such persons who have taken 14 crores of rupees from public financial institutions. I want to know why this advance was given to them ? I want to know whether this advance was given to them because they were shareholders in Maruti. I want to know whether they have appointed Shri Sanjaya Gandhi as the Managing Director only for name sake. There are 120 shareholders in that factory and they can turn Shri Sanjaya Gandhi out whenever they like. They are creating confusion in public mind in this matter.

Neither the oppositions nor the Government have revealed the fact that Shri Sanjaya Gandhi is not the owner of that factory. Capitalists of the country are trying to make that youngman as their tool. It is our duty to nationalise all the four factories including the Maruti. I was expecting this thing from Shri Vajpayee. But his speech was political speech. I was also expecting the same-thing from Shri Jyotirmoy Basu.

The Maruti factory is of a young man. He has got the technique and know ledge in the matter but he has not got the money. The capitalists are taking undue advantage of this position. There are nine persons on the Board of Directors including Shri Sanjaya Gandhi who is also the shareholder in it. The other eight persons, who are the Members of the Board of Directors are not even shareholders and they are dominating. In return they have taken 14 crores of rupees from the country and there is a drama going on in the country that the factory belongs to Shri Sanjaya Gandhi.

I was expecting that some new light will be thrown on the matter by the members. But I was disappointed. Shri Subrahmaniam also did not throw any new light in the matter.

Shri Pilloo Modi : He wants new light. The Indira light has not served the purpose.

Shri Bhogendra Jha : There is no question of removing anything from there even on the basis of what has been stated by Shri Mishra. It might be the fact that the hon. Minister was not aware of the fact that some officer had objection is this matter. He should have been bold enough to declare it in the House and should have accepted his mistake.

Shri Atal Bihari Vajpayee : He has not even that courage.

Shri Bhogendra Jha : In case it was known to him as had been stated by Shri Maurya and Shri Salve that the letter written by the officer was unauthorised then it becomes a very serious matter. In that case you might have called it an illegal objection and that objection was not based on any rules. In case he was aware of the letter he had certaily misled the House. The mistake has been committed whether it has been committed knowingly or without any knowledge.

Mr. Chairman : Do not repeat one point.

Shri Bhogendra Jha : The hon. Minister should admit his mistake before the House. It is not a very big matter. We are not claiming that there was a bad intention behind it. Secondly, the notification was issued, but the District Magistrate did not publish it hence it becomes illegal.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Whose mistake is this ?

Shri Bhogendra Jha : I want to know the reason for this mistake. The notification was issued in 1968 and in January, 1969. I want to know why that order was not applied by the Collector. The Collector was working under Bansi Lal. The Defence Minister's letter has been read out. Shri Subrahmaniam has just stated that the notification of 1962 could not be applied in 1969. So a new notification was issued. I do not understand why that notification was not issued. It was because the application of Maruti had already reached in 1968. The place was changed afterwards. I want to know whether it was not a fact that the Collector issued notification when Maruti had started.

Shri N. K. P. Salve : Maruti was not there in 1969.

Shri Bhogendra Jha : I want to know whether by raising the Maruti affairs efforts are being made to assure that there was no law or rule there since that place came under the control of the Air Force. After that anybody could establish a factory there. There was no control over that place or pressure has been made by the Government on behalf of Maruti.

It is amusing that there is no place to protect our Air Force.

Shri N. K. P. Salve : This is not the thing.

Shri Bhogendra Jha : Whether there is any restriction on establishing a factory there ?

Shri N. K. P. Salve : The restriction is that the declaration should be made at the time when works are done. If houses are once constructed they would not be demolished.

Shri Shamnandan Mishra : They should be demolished now.

Shri Bhogendra Jha : According to the views expressed by the Congress brenchs it appears that there are no rules, regulations and law under which Air Force may be considered protected there. If it is a fact, it is a serious matter and the Government is playing with our security.

I request the Government to please admit its m istake in this matter. The House should also be liberal in this matter.

I hope that Shri Mishra will also agree to my proposal.

The Government should nationalise all the four factories so that it may be protected from the criticism of the reactionaries.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : यह आरोप लगाया गया है कि मैंने सभा को गुमराह किया है। कुछ माननीय सदस्य विधि के सम्बद्ध उपबन्धों के बारे में मेरी व्याख्या से सहमत नहीं है। अत: उनका कहना है कि मैंने सभा को गुमराह किया है। इस तर्क को लेकर मैं भी यह बात कह सकता हूं कि वे सभा को गुमराह कर रहे हैं क्योंकि मैं उनकी व्याख्या से सहमत नहीं हूं।

पिछली बार जब मैं इस विषय पर बोला था तब मैंने इसके कानूनी पक्ष के बारे में अपनी राय व्यक्त की थी। अब हमारे सम्मुख वर्ष 1962 की अधिसूचना भी है और 1969 की अधिसूचना भी है। वर्ष 1962 की अधिसूचना कुछ निश्चित अवधि तक वैध थी। क्योंकि मेरे विचार में वह इण्डियन वर्क्स आफ़ डीफ़ेंस एक्ट, 1903 की धारा 3, जब वह धारा 7 के साथ पढ़ा जाये, के अनुरूप है और वह उसकी अपेक्षाओं को पूरा करती है। फिर वर्ष 1966 में कुछ हालात पैदा हुए। जैसाकि सभा को बताया गया था गोलाबारूद डीपो, जिसका उल्लेख वर्ष 1962 की अधिसूचना में किया गया था, वह वहां से दूसरे स्थान पर ही नहीं, स्थानान्तरित नहीं किया गया बल्कि जो डीपो इसके स्थान पर लाया गया था वह भी इस क्षेत्र के किसी अन्य स्थान पर ले जाया गया था। जहां तक कानून का सम्बन्ध है, बात यह है कि धारा 3 के अन्तर्गत इस बात की व्यवस्था है कि जब सरकार धारा 7 के अन्तर्गत कुछ पाबन्दियां लगाना चाहती है और विशेषकर धारा 7(बी) को लागू करना चाहती है, तो इस बात का ध्यान रखा जाना है कि किस स्थान से 1000 या 2000 गज की दूरी आरम्भ होती है जहां से किसी प्रकार की कोई इमारत बनाना निषिद्ध होगा। जब दूसरा डीपो पहले डीपो से भिन्न स्थान पर स्थापित किया गया तब 'पेरापेट वाल' का स्थान भी बदल गया। अत: नई स्थिति में वर्ष 1962 की अधिसूचना में उल्लिखित 1000 गज़ की दूरी का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि 'पेरापेट वाल' का स्थान ही बदल गया। अत: वर्ष 1962 की अधिसूचना का प्रयोजन समाप्त हो गया था।

वर्ष 1969 में निःसंदेह अधिसूचना जारी की गई थी। यद्यपि वह वैध थी, यह नहीं कहा जा सकता कि वह धारा 3, उप-धारा (2) की व्यवस्था के अनुसार लागू रहेगी। धारा 7 में यह व्यवस्था है कि नोटिस प्रकाशित होने की तिथि से और उसके बाद से पाबन्दियां लागू होंगी। इसका अर्थ यह है कि यदि धारा 3 के अधीन नोटिस जारी नहीं किया गया तो धारा 7(बी) के अन्तर्गत पाबन्दियां लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर वर्ष 1969 में इसी लिये अधिसूचना जारी की गई थी क्योंकि वर्ष 1962 में जारी की गई अधिसूचना के अस्तित्व को समाप्त समझा गया था। मैंने यह नहीं कहा था कि वर्ष 1969 की अधिसूचना के जारी किये जाने के कारण वर्ष 1962 में जारी की गई अधिसूचना अवैध हो गई थी।

मैंने कहा था कि 1969 की अधिसूचना अप्रवर्ती थी तथा 1962 की अधिसूचना के बारे में भी मैंने उल्लेख कर दिया है। यदि इस मामले में विधि सम्बन्धी बातें न उठाई गई होती तो मैं भी अधिसूचनाओं के वैध होने के सम्बन्ध में कुछ न कहता।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : यह चर्चा निश्चित ही अत्यन्त महत्वपूर्ण होगी क्योंकि मैंने सदन में एक साथ 15 मंत्रियों को कभी उपस्थित नहीं पाया चाहे चर्चा का विषय कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न रहा हो। इस चर्चा का उद्देश्य नितांत राजनीतिक है।

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह सभा को धोखा देने का मामला है। मंत्री महोदय ने सभा को धोखा दिया है और यह विशेषाधिकार का प्रश्न है। हम यह भी जानत हैं कि उन्होंने सभा को धोखा क्यों दिया है। वह अपने नेता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं।

जिस प्रकार नागरवाला केस पर सभा में चर्चा कराने के लिये हमें 14 महीने तक प्रयास करना पड़ा था उसी प्रकार मारुती के मामले पर चर्चा के लिये हमें उतना ही प्रयास करना पड़ा। सम्भवत: सरकार यह समझती है कि संसद् इतने पवित्र विषय पर चर्चा करने के योग्य नहीं है। इस बारे में सरकार ने राष्ट्रव्यापी षडयंत्र रचा रखा है तथा मारुती का नाम आते ही एक हंगामा खड़ा कर दिया जाता है।

मुझे मारुती तथा श्री संजय गांधी से कोई विरोध नहीं है। मैं इस नीति के विरुद्ध हूं कि किसी भी उपक्रम को संकटग्रस्त होने पर सरकार अपने अधिकार में ले। यदि मारुत का सरकारीकरण किया गया तो इससे देश का भारी अहित होगा। मैं चाहता हूं कि देश में छोटी कार बने तथा उसका यह सभी लोक उपयोग करें जो सब अमरीकी कार का करते हैं। मुझे इस बात में भी कोई आपत्ति नहीं है कि श्री संजय गांधी उन सभी हथकण्डों को अपनाए जिन्हें प्रयेक व्यापारी या प्रत्येक चोर बाजारी करने वाला अपनाता है। यदि देश में ये लोग कानूनों का उल्लंघन कर सकते हैं तथा अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं तो श्री संजय गांधी भी इनसे क्यों वंचित रहे तथा अपना कारखाना क्यों न खोलें? यदि प्रधान मंत्री को स्वयं इस मामले को आत्मप्रतिष्ठा का विषय नहीं मानतीं तो मैं ही क्यों कुछ कहूं। वास्तव में न यह विशेषाधिकार का प्रश्न है और न मंत्रियों द्वारा झठ बोले जाने का प्रश्न है यह तो देश की राजनीति के लिये लज्जा की बात है।

श्री वसंत साठे (अकोला) : महोदय, श्री पीलू मोदी ने इस चर्चा को केवल राजनीति का विषय माना है तथा श्री श्यामनन्दन मिश्र ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि सरकार सभा को धोखा देती रही है। यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 1962 की अधिसूचना अप्रवर्ती हो गई क्योंकि वहां से एम्यूनीशन डिपो हटा दिया गया। उसके पश्चात् वायु सेना के डिपो के मामले में सरकार ने 1903 के अधिनियम के अन्तर्गत 1969 में एक अधिसूचना जारी की किन्तु उस अधिनियम के अधीन कुछ अन्य कदम भी उठाये जाने चाहिये थे जो नहीं उठाये गये जिससे वह अधिसूचना लागू नहीं रही। अत: इस मामले में किसी भी नियम अथवा विनियम का उल्लंघन नहीं किया गया तथा तत्सम्बधी आरोप निराधार है। जहां तक राजनीति का मामला है, मैं एक सामान्य सा प्रश्न पूछना हूँ कि यदि यह संजय गांधी के कारखाने का मामला न होता तो क्या श्री मिश्रा इस मामले को यहां उठाते?

श्री पीलू मोदी : यदि यह संजय गांधी की फैक्टरी का मामला न होता तो मंत्रियों को झूठ बोलने के लिये बाध्य न किया गया होता।

श्री वसंत साठे : वास्तव में श्री पीलू मोदी समाचारपत्रों में ही नहीं देश तथा विश्वभर में अपना प्रचार चाहते हैं। वह प्रधान मंत्री का चरित्र-हनन करने का प्रयास कर रहे हैं तथा यह सिद्ध करना चाहते हैं कि वह अपने पुत्र को लाभ पहुँचाना चाहती है। गत चुनावों ने उन्होंने इन्दिरा हटाओ का नारा लगाया जिससे उनकी पार्टी की प्रतिष्ठा ही जाती रही। यह राजनीतिक चाल है तथा इन आरोपों में कोई तथ्य नहीं है।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Mr. Chairman, Sir, I do not want to discuss it on the basis of technicabilities or the complexities of law. These are matters of principle. Firstly, whether the laws are being violated systematically for the sake of Mr. Sanjay Gandhi.

Secondly, are the principles of basic policy linked with it or not, and

Thirdly, whether the points of propriety and morality arise on it or not ?

Mr. Chairman, Sir, the motion moved by Shri S. N. Mishra is good. But if it had contained one more sentence i.e. the failure of the Prime Minister to enforce high standards of rectitude in this regard, it would have been better. He should have added this sentence to the motion. Because the names of Ministers of Law, Defence, Production and Industrial Development, given in it, show the semblance of the characters of "The Arabian Nights" where the Fairy queen used to convert men into parrots and other creatures by first waving the magic wand and made them unfit to exercise their wisdom. These ministers can very well say on the matters of violations raised by Shyam Babu that the Fairy has waved magic wand over them and they have been made unfit to exercise their wisdom and so they are not responsible for it. Apart from that, no other plea can be given by them.

Shri Jagjiwan Ram wrote a letter to Shri Tyagi, which I have got. He himself has admitted in that letter :

> "The deficiencies in the notification of 1969 came to light only in December, 1972.
>
> "By then no corrective action was possible in view of the limitations provided in section 9 of the Indian Works of Defence Act, 1903"

he further says :

> "The Ministry of Defence is looking into the question as to how this declaration was not properly promulgated."

He himself has admitted that they made a blunder while promulgating the declaration.

(*Interruptions*)

Is this letter real or fictitous ? Now-a-days we have to ask this question. When Shri Jagjiwan Ram himself admits that inadvertance has occured at the time of issuance of the notification and that they are now examining as to how did this inadvertance occur. This is now clear that there has been violation. A Minister in the Ministry of Law has just accepted the fact about shares that *Messrs Philteron* India Limited and Killicks Slated Angles Limited purchased shares in the Maruti Limited worth Rs. 24,000 and Rs. 23,000 respectively and that too at the time when its total subscribed capital was of the order of Rupees two lakhs, which is a violation of the provisions of the Companies Act. I want to quote a statement given by a Minister in the Ministry of Law in that regard. It is not the case of one violation. About the actions of these companies the hon. Minister says:

> "....has contravened the provisions of the section 372 of the Companies Act by subscribing more than 10 percent in the subscribed capital of the Company."

This is the case of violation of the provisions of Companies Act. They talk of defence. I want to add that the matter pertaining to the Companies Act.

Shri R. S. Pandey : Sir, I rise on a point of order. What is the motion before the House. The motion is that how far the hon. Ministers are responsible for the violations of the provision of Law dee to the notification issued regarding acquisition of land. Now the hon. Ministers will reply to that who purchased the shares in the Maruti Limited, who sold them, when will this come into form, what will happen. These matters are not before the House. At present we are not discussing the principles and objects whom are they lobbying for ? Are they not lobbying for the private sector — which wants expansion ? It is not the question of Maruti, it is not the question of shares. It does not cover the motion before the House. You must know this.

Shri C. M. Stephen : That is not the subject of debate. The subject of the deleate is misleading the House.

Mr. Chairman : The subjects which can be discussed are given :

"....That this House deplore the conduct of Shri C. Subramaniam, Minister of Industrial Development, Shri V. C. Shukla, Minister of State for Defence Production and Shri H. R. Gokhale, Minister of Law, Justice and Company Affairs for misleading the House."

Kindly confine to the 'misleading of the House'.

Shri Madhu Limaye : We are talking about violation of Law: I want to establish the fact that there has been a chain of violations . . . .

Mr. Chairman : Please keep yourself confined to the points to be covered under discussion.

Shri Madhu Limaye : No discussion can be held if the reference is not allowed to be made. This is the question of reference. They are wasting my whole time by interruptions

(Interruptions)

Shri Madhu Limaye : I shall not allow anybody to speak if they rise on a point of order regarding relevancy. I shall continuously rise on point of order who are they to get me suspended. ** They suspending me.

Mr. Chairman : Let the House discuss matters before it.

Shri Madhu Limaye : They want my suspension. ** They have threatened me to get me suspended who are they to do so ?

Mr. Chairman : Please confine yourself to the subject matter of the motion.

Shri Madhu Limaye : What is meant by confine ..... *(Interrptions)*

Mr. Chairman : Let him speak.

Shri Madhu Limaye : Am I a new member to be taught about relevancy by them ? *(Interruptions)* Shut up.**

Mr. Chairman : These words will not go on record whether they are spoken from this side or that side. No unparliamentary word will go on record *(Interruptions)*

Shri Madhu Limaye : I rise on a point of order. They have said that they would get me suspended, that is why I said this ** *(Interruptions)*

Mr. Chairman : I shall look into the record and the unparliamentary words will be expunged. *(Interruptions)* Let the Hon. Member speak *(Interruption)*

Shri Madhu Limaye : Their words about my suspension should also be expunged who are they to get me suspended *(Interruptions)*

Mr. Chairman : Let the hon. Member speak. *(Interruption)* It is not fair to interrupt a member when he is speaking.

Shri Madhu Limaye : Mr. Chairman, Sir, there arises a question of policy in this when there is acute shortage of capital in our country, can a huge amount of the capital— twenty--twenty five crores of rupees — be invested in the manufacture of a baby car, regardless of anybody being its manufacturer ? Can the baby Car, which would not be used by even one per cent of the people of this country, he said a car for the poor.

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया ।

**Expunged as ordered by the Chair.

The question of propriety in this is that when Mr. Atley— a Labour Party leader was the Prime Minister of U.K. his daughter was a teacher. She remained a teacher even after two years and when his father relinguished his office after six years, even then she was a teacher. But if Britain had followed the conventions prevailing in India, she sould have at least been promoted to the post of Vice-Chancellor. But they did not do that. Mrs. Indira Gandhi can do this. She has done so. Therefore, it involves the question of prpriety.

(*Interruption*)

Since this matter involves a great leader, the laws are being violated continuously otherwise they would not have made a noise.

(*Interruption*) Shri Vajpayee has said that this is a matter of nepotism. I do not agree with him. It is not a matter of nepotism not a matter of son and daughter-in-law.

(*Interruption*)

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : I rise on a point of order. Whatever the Hon. Member is speaking is wrong under rule 352. We are discussing "That this House deplores the conduct of Shri C. Subramaniam, Minister of Industrial Development, Shri V. C. Shukla, Minister of State for Defence Production and Shri H. R. Gokhale, Minister of Law Justice and Company Affairs for misleading the House in their statement made in the House on the 22nd December, 1972, 1st March, 1973 and 7th March, 1973 with regard the violation of the provisions of and orders made under the Indian Works of Defence Act, 1903 in spite of objections taken by the appropriate Defence authorities. But there is no propriety of the points which are being raised by the hon. Member and they have no relation with this subject. I want your ruling in this matter.

Mr. Chairman : I have given my ruling that he should speak on the Resolution

Shri Madhu Limaye : I am speaking on the Resolution.

Lastly, I would like to say that if the vilations of laws are to be stopped, please tell them hat this Maruti affair would prove very harmful to the Government.

श्री सी० एम० स्टीफन : (मुवत्तुपुजा) : अत्यन्त खेद की बात है कि इस सत्र के अन्त में ऐसे विषय पर चर्चा की जा रही है जिसका कोई महत्व नहीं है तथा जिससे जनता का कोई हित सम्भव नहीं है। दिसम्बर, 1972 में मारुती लिमिटेड के बारे में पूरे पांच घंटे की चर्चा हुई थी क्या उसमें सभी सम्बद्ध विषयों पर चर्चा की गई थी। श्री सुब्रह्मनियम ने चर्चा का उत्तर देते हुये सरकार की नीति का पूर्णारूप से उल्लेख कर दिया था

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

खेद है एक ही विषय को बार-बार उठाकर सरकार की आलोचना की जाती है। प्रतीत होता है इनके पास अन्य कोई महत्वपूर्ण विषय ही नहीं है। सरकार अपना दृष्टिकोण बता चुकी है तथा हम अब भी उसी पर अडिग हैं। श्री सुब्रामनियम ने यह भी कहा था कि जो कुछ भी किया गया है वह गैर-कानूनी नहीं है। अतः उन्होंने स्थिति के बारे में पूरी जानकारी दी थी और इस मामले को वहीं समाप्त कर देना चाहिये था। जहां तक हम मामले के कानूनी पहलू का सम्बद्ध है मंत्री महोदय ने उस को स्पष्ट कर दिया है। अतः मैं उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री मिश्राजी का तर्क है कि मंत्री महोदय का इसके कानूनी पहलू के बारे में मत उनके मत से भिन्न है अतः वह आरोप लगाते हैं कि मंत्री महोदय सभा को धोखा दे रहे हैं। यही तर्क उनके मत के बारे में भी दिया जा सकता है। मतभेद की स्थिति में उच्चतम न्यायालय से फैसला मांगा जाना चाहिये न कि सभा का समय नष्ट किया जाना चाहिये। इस मामले में मारुती का कोई उल्लेख नहीं किया जाना चाहिये था।

[श्री सी० एम० स्टीफन]

महोदय ! आपने जो विनिर्णय दिया था वह सुनहरी अक्षरों में लिखे जाने योग्य था। आपने विनिर्णय दिया था कि प्रस्ताव को बारे में वक्तव्य दिया जाने के बाद मामले को वहीं समाप्त कर दिया जाए। किन्तु आपके विनिर्णय का पालन नहीं किया गया। श्री मिश्राजी तथा उनके कुछ साथी अनावश्यक रुप से जनता के समक्ष निराधार बातें करते है तथा इस प्ररुप के प्रस्ताव लाकर सभा का समय नष्ट करते है। में इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री मोहनराज कलिंगारायर (पोलाची) : सभा में विद्यमान सदस्यो की संख्या से विदित होता है कि श्री मिश्राजी द्वारा लाया प्रस्ताव अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रस्ताव का उद्देश्य यह है कि माननीय मंत्रियों ने सभा को धोका दिया है कि मारुती परियोजना के बारे में किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया। इस बात की जानकारी न रखे कि गुड़गांव स्थित एम्यूलेशन डिपो का कमांडिंग आफिसर 11 मार्च, 1971 को उस पत्र को सत्यापित करने को तैयार था, जिसे 13, अगस्त 1956 के रक्षा मंत्रालय के परिपत्र में निहित प्रतिबन्धों के उल्लेखन के आधार पर भूमि अग्रगण्य का विरोध किया गया था। किन्तु माननीय मंत्री तथा सरकार संसद् में इस प्रकार का उत्तर देते हैं। इससे उनकी दिलचस्पी का पता चलता है। क्या ऐसा इसलिए है कि हम विरोधी दल के सदस्य बहुत थोड़े हैं ? इस संबंध में क्या तरीका अपनाया जाता है? अनेकों बार इस सदन में यह कहा गया कि छोटी कार सरकारी क्षेत्र में बनाई जायेगी पर हुआ क्या ? एक दिन प्रधान मंत्री के पत्र को आशय पत्र दे दिया गया है नवयुवक इंजीनियरों की प्रोत्साहित करना चाहता हूं। बाद में 70,000 से 80,000 तक इंजीनियर हैं, जो कि बेरोजगार है। उनमे से भी लोगों ने परियोजनाएं सरकार को दी उन्हें स्वीकार किया गया पर बाद में कूड़े की टोकरी में डाल दी गई।

सरकार एकाधिकार गृह समाप्त करना चाहती है पर संजय कांधी की इस फैक्टरी में 100–100 रुपये के दस शेयर है जबकि इन लोगों के 1,000 तक शेयर हैं, और इस प्रकार के 90 लोग हैं।

इस फैक्टरी के लिए भूमि बहुत ही कम मूल्य पर दी गई तथा उसकी स्थापना करते समय रक्षा संबंधी नियमों का पालन भी नहीं किया गया ऐसा इसी कारण हुआ क्योंकि सत्ता उनके हाथ में है। (**व्यवधान**)। उसे सभी प्रकार की सुविधाएं दी गई। आज जबकि बिजली की कमी के कारण हरियाणा में पहले से स्थापित अनकों उद्योग बन्द हो गये हैं इस नए कारखाने को उनकी बिजली में कटौती करके बिजली दी गई। यह सब इसलिए क्योंकि वह प्रधान मंत्री के बेटे की फैक्टरी है, क्या किसी अन्य को यह सुविधा मिल सकती थी ? असम्भव।

मैं इस मामले को एक गम्भीर मामला समझता हूं और तीनों मंत्रियों विरुद्ध उठाए गये मामले को इस सदन के सदस्यों की एक समिति को सौंपे जाने का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री विद्याचरण शुक्ल

Shri Madhu Limaye : On a point of order.

Mr. S peaker : I have called the Minister, now I cannot ask him to sit.

Shri Madhu Limaye : You were not present in the morning. Before the Defence Minister answers, I hove got point of order.

अध्यक्ष महोदय : सूची से पता चलता है कि आप पहले ही बोल चुके हैं।

Shri Madhu Limaye : I want to raise a point of order and not make a speech. Shri Jagjivan Ram in his letter to an hon. member has written that the secret paper laid by Shri Mishra on the Table of the House is different from the original document. This debate is going on on that very document, as such I want your decision in this respect.

श्री जगजीवन राम: उस समय उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष पीठ पर थे और उन्होंने इस संबंध में जांच करने को कहा था।

अध्यक्ष महोदय : जब उपाध्यक्ष महोदय इस विषय में अपना निर्णय दे चुके हैं कि वे इसकी जांच करेंगे तब सदस्य महोदय फिर मेरा निर्णय क्यों चाहते हैं? एक दम कोई वक्तव्य देना मंत्री महोदय के लिए असंम्भव है।

Shri Madhu Limaye : This document must be produced for the information of the House before the reply of the Ministers and Shri Mishra. (*Interruption*).

श्री विद्याचरण शुक्ल : विधि और न्याय मंत्री और औद्योगिक विकास मंत्री के उत्तर में मेरा काम आसान हो गया है। अब मुझे विषय के विधि संबंधी पहलू पर कुछ नहीं कहना होगा।

चर्चा के दौरान भूमि अर्जन में हुई अनियमितताओं और रक्षा मंत्रालय के आदेशों का उल्लंघन करने का जिक्र किया गया है। औद्योगिक विकास मंत्री ने बताया है कि कोई अनियमितता नहीं हुई और अगर हुई है तो वे उसकी जांच करेंगे। इस पर मिश्र जी ने कहा कि रक्षा मंत्रालय के डिपों और भूमि का क्या हुआ। तब मैंने बताया था कि उनकी ओर से कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है। मैंने उस समय यह भी बताया था कि रक्षा संबंधी कोई भी निर्माण वहाँ से हटाया नहीं जायेगा। अब इस वक्तव्य का गलत अर्थ लगाया गया है।

अब मैं श्री मिश्र के मुख्य प्रश्न पर आता हूँ। जहाँ तक मैं समझ पाया है उनका मुख्य तर्क तथा कि 1962 में स्थापित एम्यूनिशन डिपो और वायुसेना एम्यूनिशन डिपो अलग-अलग नहीं है बल्कि एक साथ है। पर ऐसा नहीं है दोनों में कोई संबंध नहीं है।

श्री मिश्रा ने सदन के सम्मुख एक पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत की है, जिसे वे कार्यालय की फाइल में रखे पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि बताते हैं। पर मैं बताता हूं कि मूल पत्र और इस प्रतिलिपि में अन्तर है। माननीय सदस्य ने उसमें हेर फेर किया है **(व्यवधान)**।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैंने शुरु में ही सदन को बताया था कि रिकार्ड में हेर फेर किया जा रहा है। मैं इसे विशेषाधिकार समिति के समक्ष ले जाऊँगा। माननीय मंत्री के इस कथन को कार्यवाही से निकाला जाये **(व्यवधान)**।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : माननीय मंत्री किसी दस्तावेजों का जिक्र कर रहे है पर वह सदन के सम्मुख नहीं है। अतः पहले उसे सभा पटल पर रखा जाये तब इस पर चर्चा की जाये।

श्री विद्याचरण शुक्ल : वह सभा पटल में रख दिया जायेगा। मैं यहाँ यह बताना चाहता हूं कि सभा पटल में रखने से पहले भी मिश्र ने कौन कौन से भाग को निकाल दिया है।

मैं यह पत्र पढ़कर सुनाता हूं और उसमें जो असंगति है वह बताना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि आपको भेजे गए पत्र में, जिसकी एक प्रति मुझे आपके सचिवालय से प्राप्त हुई है, 'सीक्रेट' शब्द हटा दिया गया है, श्री मिश्र ने . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या आज यह पत्र आज सभा-पटल पर रखेंगे।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इसे अपने काम में लाने के बाद श्री मिश्र ने "नं० 54 ए एस पी सी /ओ ए पी ओ" शब्द भी हटा दिए हैं। इनका महत्व मैं बाद में बताऊंगा। यहां तक कि पत्र की तिथि में वर्ष तक बदला हुआ है। इस प्रकार उन्होंने अनेक हेर फेर करके अपना के मज़बूत करने का प्रयास किया है। **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। यह वाक्य सभा के कार्यावली वृतान्त से हटा दिए जाने चाहियें। **(व्यवधान)**

श्री विद्याचरण शुक्ल : श्री मिश्र के पत्र में सरकारी पत्र की अन्तिम दो पंक्तियां उड़ा दी गई है और हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का पदनाम भी बदला हुआ है। इस प्रकार उनका पक्ष बिलकुल ढह जाता है।

अब प्रश्न यह है कि क्या इस प्रकार के जाली दस्तावेज पेश कर के सदस्यों को यह विशेषाधिकार जैस महत्वपूर्ण प्रश्न उठाने की अनुमति दी जाती रहेगी।

अब मैं संक्षेप में यह बताना चाहूंगा कि 1962 वाला आयुध डिपो 1966 में वहां से हटा दिया गया था और उसके स्थान पर वायुसेना का 54 ए० एस० पी० बनाया गया था। अतः वह अधिसूचना जिसका उल्लेख विधिमंत्री ने किया था, यहां संगत नहीं है और इस आधार पर बनाये गए सभी सदस्यों के केस निराधार है। मैं सभी विरोधी सदस्यों द्वारा लगाये गए आरोपों का खण्डन करता हूं। रक्षा मंत्री महोदय ने इन चूकों की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। कुछ विरोधी नेताओं के गर जिम्मेदाराना व्यक्तयों में स्वयं वायुसेनाध्यक्ष तक को भी घसीटा गया है। यह बहुत ही निन्दनीय है।

मैं पुनः खण्डन करता हूं कि हिन्दूस्तान एयरोनोटिक्स के कुछ तकनीशन मारुति में काम कर रहे हैं।

अन्त में, मैं आपसे अनुरोध करुंगा कि विरोधी पक्ष की इस प्रकार जाली दस्तावेज प्रस्तुत करके सत्ताधारी दल के नेताओं को बदनाम करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाना चाहिये। आशा है आप उन सभी पहलुओं की जांच करायेंगे जिन का मैंने अभी उल्लेख किया है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैंने पहले ही कहा था कि सरकारी दस्तावेजों को बदला गया है और अब यही बात सच हो गई है . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जब तक आप सभी नही बैठेंगे, श्री मिश्र कुछ नहीं कहेंगे।

Shri B. P. Maurya (Hapur) : Mishraji has become nervous.

Shri Shamnandan Mishra : You would be unnerved. The Prime Minister should die of shame (*Interruption*)

श्री सी० एम० स्टीफन : (मुक्तुपुजा): सभा को उनके प्रति कोई आदर भाव नहीं है जबकि उन्होंने जालसाजी की है . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं किया है। मैं दोनों पक्षों से अपील करता हूं कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग न करें . . . **(व्यवधान)**

Shri B. P. Maurya : He should withdraw the expression used here and seek apology of the House. You may ask him to do so . . . (*Interruptions*)

श्री श्याम नन्दन मिश्र : इसमें कुछ भी असंसदीय नहीं है। मैं भी प्रक्रिया से परिचित हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री मिश्र ने जो भाषा बोली है वह असंसदीय न होते हुए भी अखरने वाली और बुरी लगने वाली है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मंत्री महोदय ने इस पत्र को बदला है और यह मंत्री के उत्तर से पूर्णतया सिद्ध हो जाता है। मैंने उक्त पत्र का उल्लेख फरवरी में किया था और रक्षा मंत्री ने अपने उत्तर में इसका खण्डन नहीं किया। अतः इसके तथ्यों का स्वीकार कर लिया गया। न ही बाद में प्रथम मार्च की चर्चा में रक्षा उत्पादन मंत्री ने इसका खण्डन किया था। यह सोच उनकी बाद की है। इस मामले में यह पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है ....

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : मैंने अपने पत्र में मूल पत्र और इस पत्र में पाई असंगति की ओर इशारा किया था।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : श्री जगजीवनराम जी ने अपने श्री बसु को लिखे गए पत्र में भी आफिसर कमांडिंग का ही उल्लेख किया है न कि किसी वायुसेना अधिकारी का। तिथि के बारे में भी कोई खण्डन नहीं किया गया। ये दोनों दस्तावेजों में उपलब्ध करूंगा और इससे स्पष्ट हो जाएगा कि यह सोच बाद में सोची गई है और कि इन पत्रों को बदला गया है **(व्यवधान)** अन्यथा तीन मास तक चुप रहने के बाद अब खण्डन नहीं किया जाता बल्कि उसी समय मुझे दोषी ठहराया जाता।

दोनों पत्रों में उत्तर बताने का प्रयत्न किया गया है किन्तु वास्तव में उनमें कोई मौलिक उत्तर नहीं है। तिथि के बारे में मैं स्थिति बता चुका हूँ। पत्र का आशय यह है कि आफिसर कमांडिंग ने बताया था कि इससे एक्सप्लोसिव डिपो को खतरा उत्पन्न हो सकता है। मंत्री महोदय ने इस बात का खण्डन नहीं किया।

मंत्री महोदय ने एक आपत्ति यह की है कि मैंने ए० एस० पी० 44 के लिये डिपो शब्द का प्रयोग किया है। श्री शुक्ला स्वयं डिपो शब्द का ही प्रयोग करते रहे हैं। उन्होंने आपके पास जो नोट भेजा है तथा जो मुझे दिया गया है उनमें उन्होंने डिपो शब्द का ही प्रयोग किया है। उन्होंने '54 ए० सी० पी०' कभी नहीं कहा **(व्यवधान)** कमांडिंग आफिसर की टिप्पणी का खंडन नहीं किया तथा प्रतीत होता है कि पत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा तथा सरकार 'एक्सप्लोसिव्ज डिपो' को मिटाकर उसके स्थान पर 54 ए० एस० पी० नहीं रख सकी।

महोदय! मैंने जो दस्तावेज प्रस्तुत किया है यदि उसको गलत सिद्ध किया जाना है तो इसका निर्णय विशेषाधिकार समिति को करना चाहिये। मैं उक्त समिति के समक्ष उपस्थित होने को तैयार हूं। यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए **(व्यवधान)**

माननीय मंत्री ने 'फोर्जरी' शब्द का उपयोग किया है किन्तु अध्यक्षपीठ ने उस पर कोई आपत्ति नहीं की जबकि यह शब्द असंसदीय है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह असंसदीय है ?

श्री श्याम नन्दन मिश्र : जी हाँ, यदि किसी सदस्य के लिये कहा जाए तो। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि इसे असंसदीय माना जाता है तो मैं इस मामले पर विचार करूंगा।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं रक्षा मंत्रालय के गोपनीय दस्तावेज में माननीय सदस्य द्वारा किये गये परिवर्तन का उल्लेख कर रहा था। मैंने इस शब्द का उसी संदर्भ में प्रयोग किया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूँ कि 'फोर्जरी' के स्थान पर "टैम्पर" कहा जाना चाहिये था।

श्री एच० एन० मुकर्जी : (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : मंत्री महोदय को यह शब्द वापस लेना चाहिये ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने इस शब्द का उपयोग दस्तावेज के लिये किया था । माननीय सदस्य ने दस्तावेज में जो परिवर्तन किया है कानूनी भाषा में इस प्रकार के कार्य के लिए 'फोर्जरी' शब्द का ही प्रयोग किया जाता है । यदि किसी दस्तावेज में मामूली परिवर्तन भी किया जाता है जिसमें दस्तावेज के आशय में अन्तर आता है तो वह 'फोर्जरी' के बराबर होगा । अतः इस शब्द का प्रयोग मैंने कानूनी भाषा में इसी संदर्भ में किया था । **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्हें यह शब्द वापस लेना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : वह तो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं किन्तु यह तो निश्चित हो जाए कि उन्होंने यह दस्तावेज के लिये कहा है या माननीय सदस्य के लिए ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : श्री मिश्र ने विशेषाधिकार समिति के समक्ष उपस्थित होने का प्रस्ताव किया है । सरकार इसे स्वीकार कर ले **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य के लिये ऐसा कहा गया है तो यह नहीं कहा जाना चाहिए था । यह संसदीय नहीं है ।

श्री राम सहाय पांडे (राजनंदगांव) : क्या उक्त दस्तावेज में कोई परिवर्तन किया गया है ? ..मेरा आरोप है कि ** पत्र में से 'सीक्रेट' शब्द को निकाल दिया गया है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । क्या आपने सुना है महोदय ? श्री पांडे ने कहा है कि **

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया है । मिश्रा जी आपने जो प्रति मुझे दी है उस पर आपने सत्यापित प्रति नहीं लिखा है ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : जी नहीं । मैं आज उसे सत्यापित करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : जो दस्तावेज आपने मुझे दिया है उसके बारे में क्या कहना है ?

श्री श्याम नन्दन मिश्र : उस समय आपको इस मामले का मूल आशय बताना था **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : तब इसका इस पत्र के साथ क्या सम्बन्ध है जो आपने मुझे भेजा था ?

श्री श्याम नन्दन मिश्र : वह पृथक है ।

अध्यक्ष महोदय : सब कुछ भ्रम उत्पन्न करने वाला है । अब आप उसे सारांश बता रहे हैं **(व्यवधान)**

श्री श्याम नन्दन मिश्र : महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि मैं उस पत्र को पहले प्रस्तुत नहीं कर सका क्योंकि मैं करना नहीं चाहता था **(व्यवधान)** किन्तु अब मैं उसे सत्यापित करने जा रहा हूं तथा सभा-पटल पर रख दूंगा ।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया ।

**Expunged as ordered by the Chair.

मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस पत्र में तथा जिसका उल्लेख मंत्री-महोदय ने किया है उसमें कोई मौलिक अन्तर नहीं है । इसके प्रवर्ती भाग में 'एक्सप्लोसिव डिपो' लिखा है । माननीय मंत्रियों ने इनमें कोई अन्तर नहीं बताया तथा इसका खंडन भी नहीं किया । (व्यवधान)

यदि इस पत्र में कोई फेर-बदल किया गया है तो मंत्री महोदय पहली मार्च को ही इस बारे में आपत्ति कर सकते थे (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस मामले को स्पष्ट रूप से समझने दें ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र: जिस पत्र की प्रति मैंने आपको दी थी उसी की प्रति मंत्री महोदय को फरवरी में दी गई थी । उन्होंने पहली मार्च को वक्तव्य दिया । दिनांक 7 मार्च को श्री गोखले ने कानूनी पहलू का उल्लेख किया है और 29 मार्च को श्री जगजीवन राम ने श्री ज्योतिर्मय बसु के प्रश्न का उत्तर दिया । किन्तु किसी भी अवसर पर इस बारे में कोई आपत्ति नहीं की गई कि उस प्रति में कोई फेर-बदल किया गया है । क्या सरकार इस प्रति को मूल पत्र से मिला नहीं सकती थी ? अब यह देखना सदन का कार्य है कि किसने रिकार्ड में फेर-बदल किया है । मैं पुनः यह दावा करता हूं कि मैं विशेषाधिकार समिति के समक्ष जाने को तैयार हूँ ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : महोदय ! इस मामले का समाधान करने के लिये एक तदर्थ समिति नियुक्त की जानी चाहिये । एक दूसरे के विरुद्ध 'फोर्जरी' के आरोप लगाए जा रहे हैं । इसका निर्णय होना ही चाहिये । उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली है । यह व्यवस्था का प्रश्न है । आप इस पर निदेश दें ।

श्री सी० एम० स्टीफन : माननीय सदस्य अब क्यों नाराज होते हैं । पहले क्यो नहीं हुए ? (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकार विशेषाधिकार समिति के समक्ष जाने से क्यों डरती है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो मामला हमारे समक्ष है पहले उसे निपटाया जाय ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : जो प्रस्ताव सभा के समक्ष था उस पर चर्चा हो चुकी और यह विषय नितांत भिन्न है तथा इसका सम्बन्ध सभा की प्रतिष्ठा से है । महोदय ! इस बारे में आपको ही जांच करनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : बाद में आप मुझपर भी आरोप लगाएंगे । इसका निर्णय तो सभा को ही करना है ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : दूसरा तर्क यह किया जा रहा है कि यह पत्र अवैध था क्योंकि हममें उस वस्तु का हवाला है जो विद्यामान ही नहीं थी (व्यवधान) रक्षा मंत्री ने दिनांक 25 अप्रैल के श्री त्यागी को लिखे गए पत्र में कहा था कि इस मामले पर हरीयाना सरकार से बातचीत की गई है । दिनांक 11 मार्च, 1971 के पत्र की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया था तथा रक्षा मंत्री ने 27 अगस्त, 1971 को हरियाणा सरकार को पत्र लिखा था तभी से यह मामला उसके विचाराधीन है । इसी अवधि में मारुति लिमिटेड का निर्माण कार्य आरम्भ हुआ तथा इस पत्र को क्रियान्वित करने का विचार त्याग दिया गया ।

श्री शुक्ल ने कहा है कि कुछ क्षेत्र के अनधिग्रहण के कारण स्थिति बदल गई । किन्तु प्रतिबन्धों का इससे कोई सम्बन्ध ही नहीं है । मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि वहां एम्यूनीशन डिपो है हो नहीं । आप 391730 और 391242 नम्बर पर टैलीफोन करके देख लीजिये आपको

[श्री शामनन्दन मिश्र]

विदित हो जाएगा कि डिपो है अथवा नहीं । डिपो चाहे स्थलसेना का हो अथवा वायुसेना का इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता । मंत्री महोदय आर्मी शब्द को बीच में लाने का प्रयत्न कर रहे थे जिससे 1962 की अधिसूचना को अवैध सिद्ध किया जा सके । वहाँ एम्यूनीशन डिपो है तथा कानून भी लागू है किन्तु सरकार नहीं चाहती कि उस कानून को लागू किया जाए ।

औद्योगिक विकास मंत्री ने कहा था कि आवेदन पत्र में मारुति लिमिटेड का स्थान हरियाणा लिखा गया था । लाइसेंसिंग कमैटी ने कहा था कि इसका स्थान गुड़गांव लिखा था । यह अन्तर है । उसमें 'गुडगांव जिला' नहीं बताया गया । इस अन्तर की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये ।

श्री शुक्ल का यह कथन भी गलत सिद्ध हो गया है कि 1969 में मारुती लिमिटेड के बारे में सोचा भी नहीं गया था ।

अंत में मेरा निवेदन है कि सभी विपक्षी दलों ने यह मांग की है कि इस घोटाले की जांच करने के लिये संसदीय समिति नियुक्त की जाए । आशा है प्रधान मंत्री अपने उस वक्तव्य को क्रियान्वित करेंगी जो उन्होंने लखनऊ में दिया था कि इसकी जांच की आवश्यकता है ।

अंत में वाल्मीकि रामायण का उल्लेख करते हुए निवेदन करता हूं कि यद्यपि राम को सीता की शुद्धता पर विश्वास था तथापि सीता को अग्निपरीक्षा देनी पड़ी । प्रधान मंत्री को भी वही मार्ग अपनाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि यह सभा औद्योगिक विकास मंत्री श्री सी० सुब्रहमण्यम्, रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल और विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री श्री एच० आर० गोखले के आचरण पर, जिन्होंने समुचित रक्षा अधिकारियों द्वारा आपत्तियां किये जाने के बावजूद, भारतीय रक्षा संदर्भ अधिनियम, 1903 के उपबन्धों तथा उनके अधीन बनाये गये नियमों के संबंध में 22 दिसम्बर, 1972, 1 मार्च, 1973 तथा 7 मार्च 1973 को सभा में दिये गये अपने वक्तव्यों में सभा को गुमराह किया है, खेद व्यक्त करती है ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक सभा अनिश्चित् काल के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned sine die

GIPN—S5—15 LSS/ND/73—28-8-73—490.